

नगर पालिका आम चुनाव 2026 मॉक पोल एवं मतदान दिवस की प्रक्रिया

मतदान दल प्रशिक्षण — डेक 2 (PP2) · संशोधित एवं संवर्धित संस्करण

- मतदान: 09 एवं 11 सितम्बर 2026 · प्रातः 7:00 से सायं 6:00
- मशीन: ECIL MPSV (पिंक) · एक ही पद (सदस्य) · END बटन मास्क
- मूल प्रस्तुति: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर — 114 स्लाइड

मूल आवरण पर केवल शीर्षक और प्रस्तुतकर्ताओं के नाम थे। तिथि, मशीन-मॉडल और मतदान-समय आवरण पर ही रखे गए हैं क्योंकि यही तीन तथ्य पूरे प्रशिक्षण की धुरी हैं।

इस संस्करण को कैसे पढ़ें — चार चिन्ह

चिन्ह	अर्थ	प्रशिक्षक क्या करे
सुधार	मूल स्लाइड पर छपी बात विधि/मार्गदर्शिका के विरुद्ध थी	पुराना पाठ बोलकर बताएँ, फिर सही पाठ लिखवाएँ
नया	मूल डेक में यह स्लाइड थी ही नहीं; खुला लूप बंद करने को जोड़ी गई	इसे छोड़ें नहीं — यही चूक-बिन्दु हैं
पूरक	बात सही थी, पर अधूरी; केवल छूटा विवरण जोड़ा गया	मूल पंक्ति रखें, जोड़ पढ़ाएँ
(कोई नहीं)	मूल स्लाइड सही है	बदलें नहीं

झूठी त्रुटि उतनी ही हानिकारक है जितनी छूटी हुई त्रुटि

जो पंक्तियाँ सही हैं उन्हें 'सुधार' कहकर बदलवाना पूरे सुधार-पत्रक की विश्वसनीयता गिरा देता है। जहाँ आधार नहीं मिला, वहाँ इस डेक में स्पष्ट लिखा है — 'सत्यापित नहीं'।

इस चुनाव के छह स्थिर तथ्य — पूरा प्रशिक्षण इन्हीं पर टिका है

एक ही पद

मतदान केन्द्र पर केवल वार्ड सदस्य (पार्षद) का चुनाव
अध्यक्ष का चुनाव बाद में, निर्वाचित सदस्यों द्वारा

एक ही सेट

एक CU + एक BU; अभ्यर्थी अधिक हों तो अतिरिक्त BU
अतिरिक्त CU कभी नहीं

END मास्क

MPSV/MPMV का END बटन मास्क रहेगा — आंशिक मतदान की संभावना नहीं
ECIL की सामान्य पुस्तिका का 'अन-मास्क' नियम यहाँ लागू नहीं

नोटा एक पैनल है

पैनल-गणना, मॉक पोल और मतगणना — तीनों में नोटा गिना जाएगा
MPSV: नोटा सहित 15 पैनल · M3A/MK-V: नोटा सहित 16

- **निर्वाचन क्षेत्र = वार्ड** — 'लोकसभा', 'विधानसभा', 'एसेम्बली क्षेत्र', 'पंचायत समिति', 'जिला परिषद' — इनमें से कोई इकाई इस चुनाव में है ही नहीं
- **संचालक = राज्य निर्वाचन आयोग** — नगरपालिका आम चुनाव अनुच्छेद 243-ZA के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, निर्वाचन विभाग नहीं

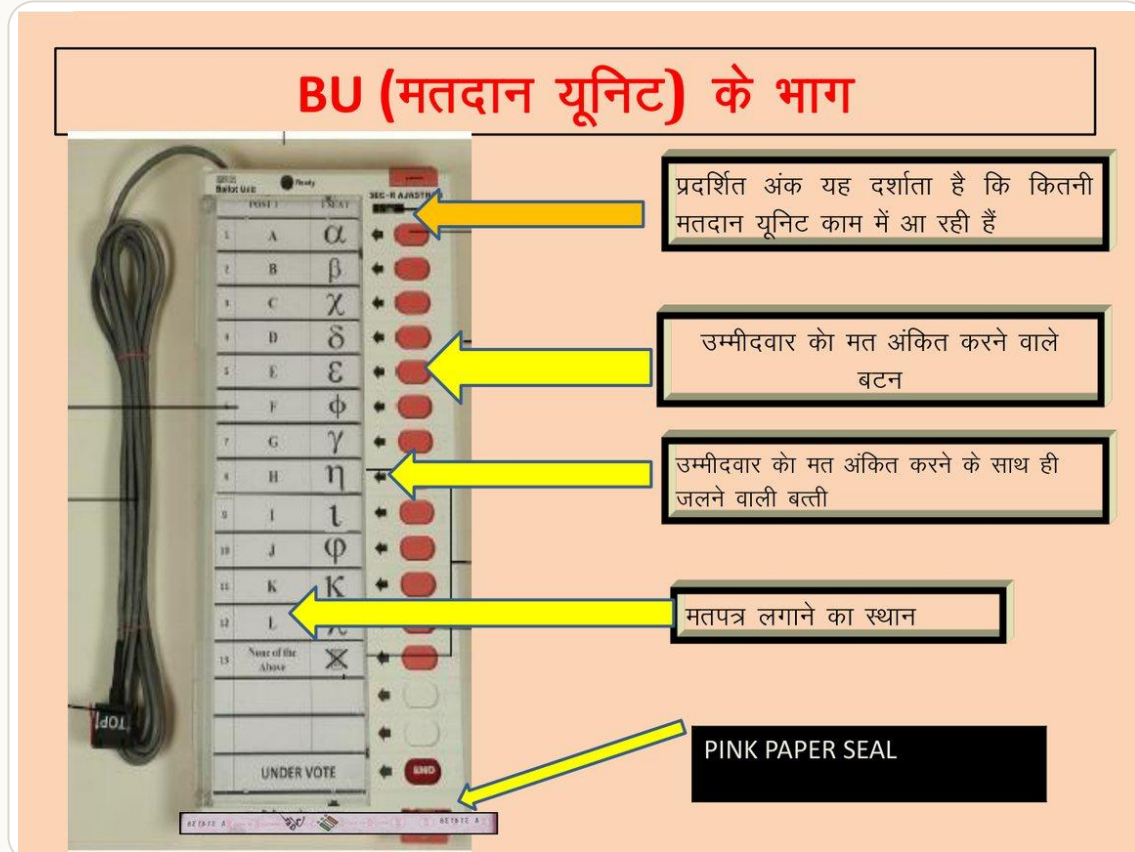
01

मशीन की पहचान

बैलट यूनिट · कंट्रोल यूनिट · प्राप्ति के समय की जाँच

बैलट यूनिट (BU) के भाग

सुधार



मूल स्लाइड — BU के भागों पर लगे लेबल। कक्षा में एक-एक करके अंगुली रखकर दिखाएँ।

- **एड्रेस टैग** — ऊपर और नीचे-दाहिनी ओर — जाँचें कि उसी मतदान केन्द्र का है जहाँ आपको जाना है
- **प्रदर्शित अंक** — यह उसी बैलट यूनिट की स्लाइड-स्विच स्थिति दिखाता है — 1, 2, 3 या 4
- **नीले बटन** — अभ्यर्थी को मत अंकित करने वाले बटन; अंतिम पैनल नोटा का
- **लाल बत्ती** — मत अंकित होते ही उसी पैनल के सामने जलती है
- **मतपत्र** — बैलट पेपर स्क्रीन के नीचे ठीक से लगा हो
- **पिंक पेपर सील** — BU नहीं — यह CU के परिणाम खण्ड पर लगती है; यहाँ केवल पहचान हेतु दिखाई गई है

मूल स्लाइड से अंतर

मूल पंक्ति: 'प्रदर्शित अंक यह दर्शाता है कि कितनी मतदान यूनिट काम में आ रही हैं' — यह गलत है; वह अंक जुड़ी हुई BU की गिनती नहीं, उसी BU की स्लाइड-स्विच स्थिति है। सही पाठ: 'यह अंक बताता है कि यह बैलट यूनिट श्रृंखला में पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी है।' दो BU दोनों '1' पर छूट जाएँ — यही BU NOT RESPONDING और गलत पैनल पर मत गिरने का असली कारण है।

बैलट यूनिट की जाँच — क्रमांक का मिलान

मतदान यूनिट(बैलट युनिट) की जाँच करना



Sl. No.
MPB207878

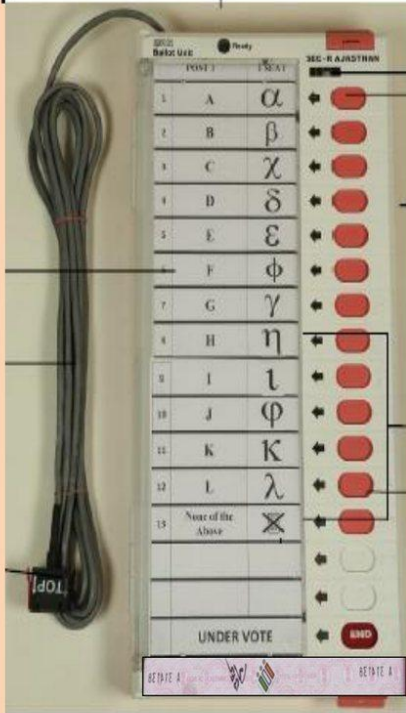
बैलट युनिट के पिछले हिस्से में लिखे हुये बैलट युनिट क्रमांक का मिलान कर लें।

बैलट यूनिट के पिछले हिस्से पर लिखा क्रमांक (उदाहरण चित्र में MPB207878)।

- **मिलान करें** — BU के पीछे लिखा क्रमांक और आपको सौंपे गए अभिलेख/परिशिष्ट-7 की मद 5.4 का क्रमांक एक ही होने चाहिए
- **तीन जगह दर्ज होगा** — पीठासीन अधिकारी की डायरी (परि-7 मद 5), प्ररूप 14-ग का शीर्ष, और सीलिंग के समय एड्रेस टैग
- **अंतर मिले तो** — मशीन लिए बिना तत्काल जोनल मजिस्ट्रेट/RO को बताएँ — बूथ पर पहुँचकर पकड़ में आना बहुत देर है

बैलट यूनिट की जाँच — सील और एड्रेस टैग

मतदान यूनिट(बैलट यूनिट) की जाँच करना



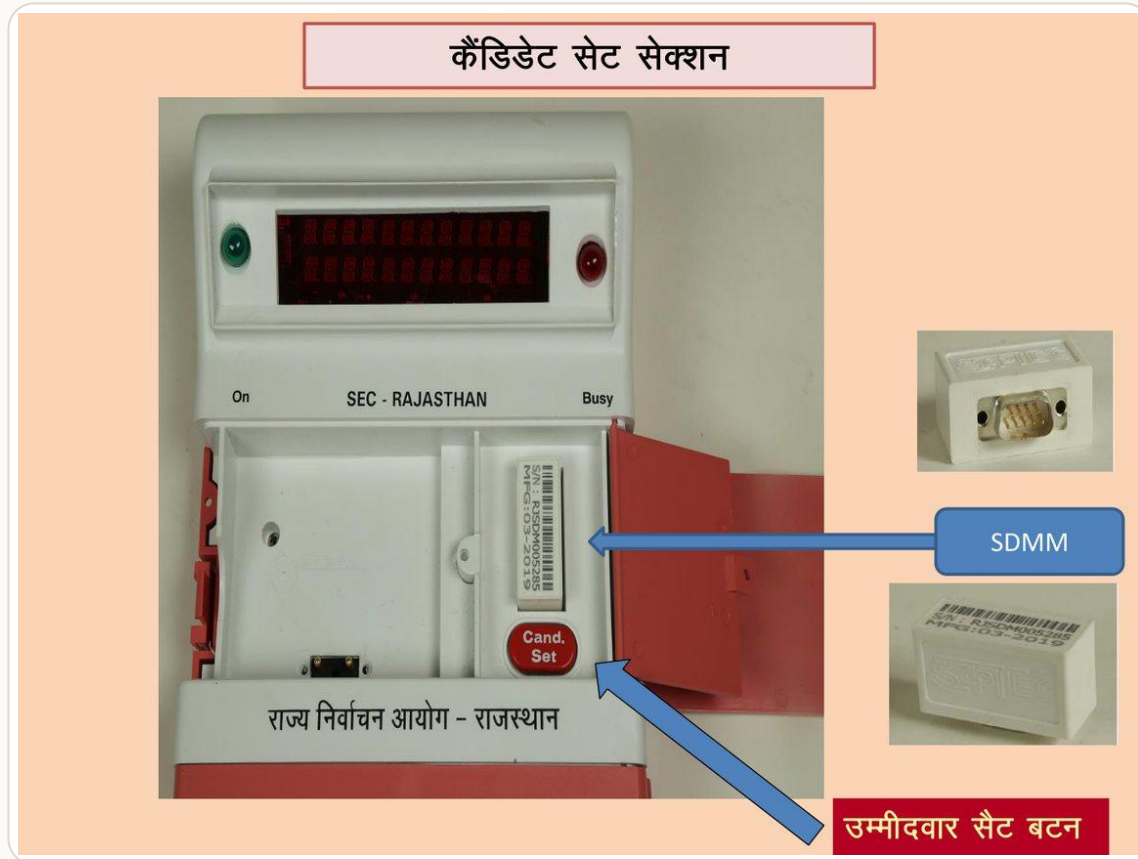
बैलेट यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सील किया जाता है अतः प्राप्ति के समय सभी प्रकार से सुनिश्चित कर लें कि पिंक पेपर सील व एड्रेस टैग आदि उसी मतदान केंद्र के हैं जहां आपको मतदान हेतु जाना है,

- **सील RO की है** — बैलट यूनिट रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर सील की जाती है; मतदान दल उसे खोलता नहीं
- **तीन चीजें मिलाएँ** — पिंक पेपर सील · एड्रेस टैग · मशीन क्रमांक — तीनों उसी मतदान केन्द्र के हों
- **कटी-फटी सील** — सील टूटी/ढीली/पुनः चिपकाई हुई लगे तो मशीन स्वीकार न करें; लिखित में अवगत कराएँ

RO द्वारा सील की गई बैलट यूनिट — प्राप्ति के समय यही देखना है।

कैंडिडेट सेट सेक्शन एवं SDMM

पूरक



- **उम्मीदवार सेट बटन** — यह RO के स्तर की तैयारी का बटन है — मतदान दल इसे कभी नहीं दबाएगा
- **SDMM** — MPSV का डेटा मॉड्यूल; MPMV में इसे DMM कहा जाता है
- **सील की स्थिति देखें** — इसी खण्ड की बाईं ओर RO की लगाई हुई मुहर सही स्थिति में है, यह पीठासीन अधिकारी को देखना है

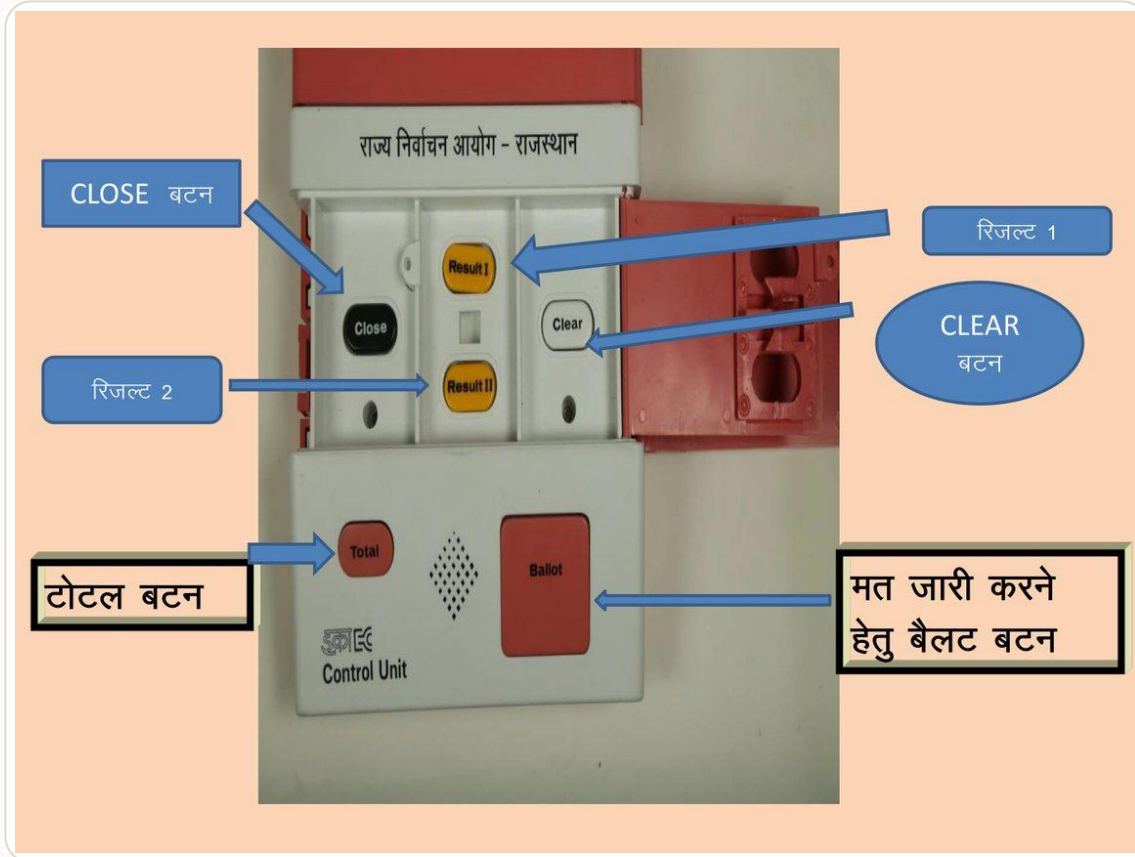
यह क्यों जोड़ा गया

मूल स्लाइड पर केवल दो लेबल थे। सीलिंग के समय यही तय करता है कि क्या सील होगा — MPSV: SDMM · MPMV: DMM · M3A: CU व BU (आदेश 5446)। इसलिए पहचान अभी करा दें।

CU का कैंडिडेट सेट सेक्शन — 'उम्मीदवार सेट' बटन तथा SDMM। यहाँ अंगुली रखकर दिखाएँ।

कंट्रोल यूनिट का परिणाम खण्ड — पाँच बटन

पूरक



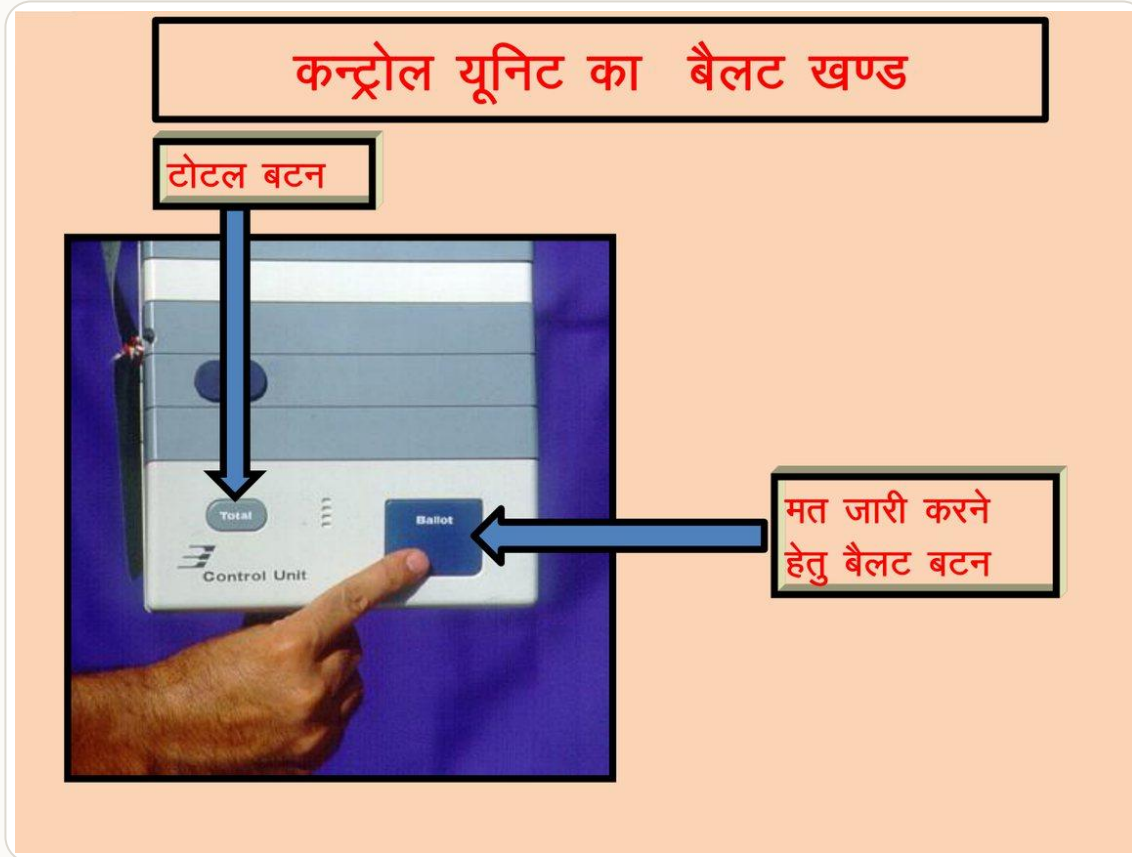
मूल स्लाइड — TOTAL, BALLOT, RESULT-I, RESULT-II, CLOSE, CLEAR के लेबल।

बटन	कहाँ	कौन दबाएगा
BALLOT	बैलट खण्ड (बाहर)	तृतीय मतदान अधिकारी / पीठासीन अधिकारी
TOTAL	बैलट खण्ड (बाहर)	पीठासीन अधिकारी — केवल Busy बत्ती बंद होने पर
CLOSE	परिणाम खण्ड, कैप के नीचे	पीठासीन अधिकारी — मतदान समाप्ति पर
RESULT-I / RESULT-II	आंतरिक खण्ड	मॉक पोल में RESULT-I; RESULT-II मतगणना/प्रिंटर हेतु
CLEAR	आंतरिक खण्ड	पीठासीन अधिकारी — मॉक पोल के मत मिटाने हेतु

MPSV पर PRINT बटन है ही नहीं

MPSV/MPMV के आंतरिक खण्ड में RESULT-I, RESULT-II और CLEAR होते हैं। PRINT बटन केवल M3A/MK-V पर होता है। इस डेक के कुछ चित्र M3A/BEL मशीन के हैं — बटन ढूँढ़ते समय भ्रम न हो।

कंट्रोल यूनिट का बैलट खण्ड

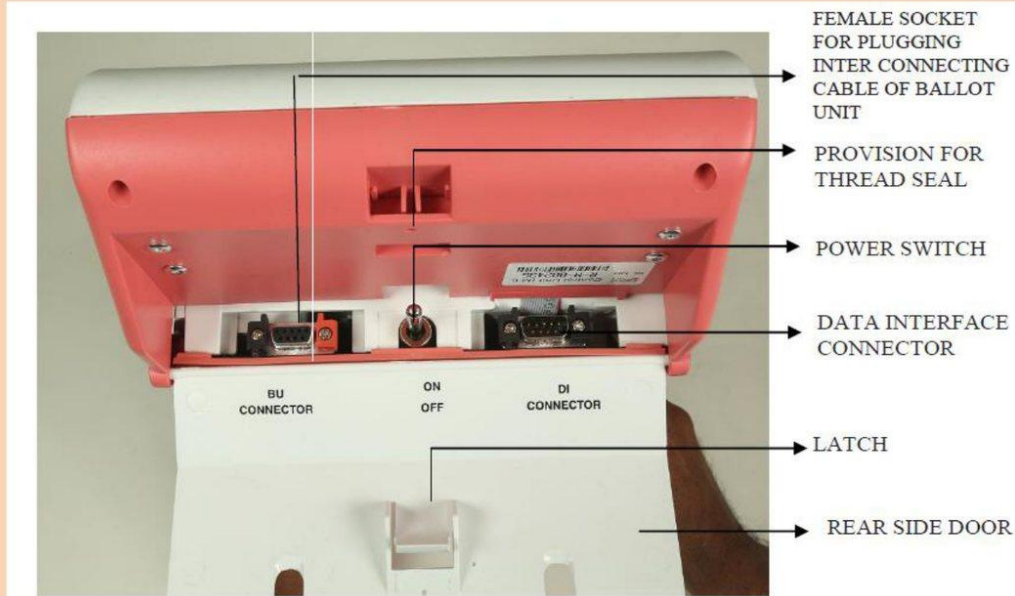


बैलट खण्ड — मत जारी करने हेतु BALLOT बटन तथा TOTAL बटन।

यह खण्ड दिनभर खुला रहेगा — इसलिए यही सबसे संवेदनशील है कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी की मेज पर, मतदान अभिकर्ताओं को पूर्णरूप से दृष्टिगोचर रहेगी (नियम 32-ख(6))। मतदाता कंट्रोल यूनिट को कभी नहीं छूता।

कंट्रोल यूनिट का पावर ऑन-ऑफ खण्ड

कंट्रोल यूनिट का पावर ऑन-ऑफ सेक्शन



पीछे का कवर बाहर की ओर खींचकर खोलें — भीतर पावर स्विच एवं कनेक्टर।

- **कवर खींचें, उठाएँ नहीं** — कवर को बाहर की ओर खींचकर खोला जाता है
- **बीप के समय OFF न करें** — किसी भी ऑपरेशन के बीच CU को स्विच ऑफ करना सबसे बड़ी चूक है
- **बैटरी की जाँच** — MPSV/MPMV की CU पर HIGH/LOW मोड आता है — प्रतिशत नहीं। HIGH मोड में हो, अन्यथा CU बदलवाएँ (M3A में 95% से अधिक)

आपकी मशीन बनाम स्लाइडों की मशीन — यह अंतर पहले ही बता दें

बिन्दु	ECIL MPSV / MPMV (आपकी मशीन)	BEL M3A / MK-V (कुछ स्लाइडों के चित्र)
पैनल (नोटा सहित)	15	16
आंतरिक खण्ड के बटन	RESULT-I, RESULT-II, CLEAR	RESULT, PRINT, CLEAR
बैटरी संकेत	HIGH / LOW मोड	प्रतिशत (95% से अधिक हो)
CLOSE बटन	प्लास्टिक/रबर कैप हटाकर दबाएँ, कैप वापस लगाएँ	काली रबड़ की सील हटाकर छिद्र से दबाएँ
डेटा मॉड्यूल	MPSV: SDMM · MPMV: DMM	CU व BU स्वयं सील होते हैं

यह स्लाइड क्यों जोड़ी गई

डेक के अनेक चित्र मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तथा भारत निर्वाचन आयोग की मशीनों के हैं (PP2_p024, p031, p032, p033, p034, p078)। दल को पहले ही बता दें कि चित्र की मशीन और उसकी मशीन एक नहीं है, वरना वह सुबह 5:30 बजे एक ऐसा बटन ढूँढ़ेगा जो उसकी मशीन पर है ही नहीं।

02

पीठासीन अधिकारी द्वारा EVM की तैयारी

मतदान पूर्व की तैयारी · जोड़ना · CLEAR · त्रुटि संदेश

मतदान पूर्व की तैयारी — किसके सामने और क्या

- **कब** — मतदान केन्द्र पर, ईवीएम को वास्तविक उपयोग में लाने से पहले
- **किसके सामने** — उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में — पारदर्शिता के साथ
- **कैसे** — निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार, क्रम बदले बिना
- **कितनी मशीनें** — नगरपालिका चुनाव में मतदान केन्द्र पर केवल सदस्य (पार्षद) पद का मतदान होता है, अतः एक ही CU एवं BU का सेट उपयोग में आएगा
- **अभ्यर्थी अधिक हों तो** — केवल अतिरिक्त बैलट यूनिट जुड़ेंगी — अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट कभी नहीं

मूल स्लाइड से अंतर

मूल पंक्ति: 'इन मॉडल की मशीनों से निर्वाचन में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग CU एवं BU का उपयोग किया जायेंगे।' — नगरपालिका मतदान केन्द्र पर पद ही एक है, अतः यह वाक्य लागू नहीं होता। आदेश 2184 बिन्दु (2): 'एक ही पद (सदस्य) का चुनाव करवाने के लिए ... MPSV एवं MPMV मशीनें भी सिंगल पोस्ट सिंगल वोट मशीनों की तरह ही उपयोग में आयेंगी।' यह पढ़कर दल दो मशीन-सेट की अपेक्षा करता है और एक सेट मिलने पर घबराता है।

पीठासीन अधिकारी की चार जाँचें (1 से 3)

- 1 इंटरकनेक्टिंग केबल**
मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी BU की केबल का प्लग कंट्रोल यूनिट में लगाएगा
- 2 एक ही सेट**
इस निर्वाचन के लिए एक ही बैलट यूनिट एवं एक ही कंट्रोल यूनिट काम आएगी; अभ्यर्थी अधिक हों तो अतिरिक्त BU
- 3 मतपत्र**
बैलट पेपर, बैलट पेपर स्क्रीन के नीचे ठीक से लगा हुआ है
- 4 एड्रेस टैग**
RO द्वारा ऊपर तथा नीचे दाहिने हिस्से में लगाये गये दोनों एड्रेस टैग सही स्थिति में हैं

मूल स्लाइड से अंतर

मूल मद 1: 'दोनों चुनावों के लिये पृथक-पृथक बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट काम आयेगी।' — नगरपालिका मतदान केन्द्र पर एक ही पद है, अतः 'दोनों चुनाव' का कोई अर्थ नहीं। सही पाठ: 'सदस्य पद के इस एक निर्वाचन हेतु एक ही CU व BU का सेट।' (आदेश 2184 बिन्दु 2)

स्लाईड स्विच का नियम — नोटा सहित गिनीए

मॉडल	एक BU की क्षमता	स्लाईड स्विच	अधिक अभ्यर्थी होने पर
ECIL MPSV / MPMV	नोटा सहित 15 तक	स्थिति 1	दूसरी BU = 2, तीसरी = 3, चौथी = 4
BEL MK-V / M3A	नोटा सहित 16 तक	स्थिति 1	दूसरी BU = 2, तीसरी = 3, चौथी = 4

- **गणना का सूत्र** — लड़ने वाले अभ्यर्थी + 1 (नोटा) = आवश्यक पैनल
- **MPSV पर 15 अभ्यर्थी** — $15 + \text{नोटा} = 16$ पैनल; एक BU की क्षमता 15 — अतः दूसरी BU (स्विच 2) आवश्यक
- **अधिकतम** — आदेश चार बैलट यूनिट तक का क्रम देता है (1, 2, 3, 4)

मूल स्लाइड से अंतर

मूल मद 4: 'अभ्यर्थियों की संख्या 15 तक है तो स्लाईड स्विच 1 पर ... 16 से अधिक है तो 2, 3, 4 पर।' — तीन दोष: (1) ठीक 16 अभ्यर्थियों पर कोई नियम ही नहीं बचता, (2) 'नोटा सहित' कहीं नहीं लिखा जबकि नोटा भी एक पैनल घेरता है, (3) MPSV (15 पैनल) और M3A/MK-V (16 पैनल) में अंतर नहीं किया गया। परिणाम — यह स्लाइड एक गलत मशीन को सही और एक सही मशीन को गलत बता सकती है।

कंट्रोल यूनिट — जोड़ना एवं परिणाम खण्ड खोलना

- 1 मुहर देखें**
RO द्वारा उम्मीदवार खण्ड (Candidate Section) की बाईं ओर लगाई गई मुहर सही स्थिति में है
- 2 BU जोड़ें**
CU के पिछले ढक्कन को खोलकर फीमेल कनेक्टर से BU का मेल कनेक्टर जोड़ें; दूसरी BU की केबल पहली BU के पीछे के कनेक्टर से
- 3 परिणाम खण्ड खोलें**
Result Section की बाईं ओर की कुंडी (Latch) को थोड़ा भीतर दबाकर कवर खोलें
- 4 आंतरिक खण्ड खोलें**
MPSV/MPMV में RESULT-I / RESULT-II के ऊपर के दो छिद्रों में अंगूठा और एक अंगुली डालकर, थोड़ा भीतर दबाकर दरवाजा खोलें
- 5 जोर न लगाएँ**
आंतरिक खण्ड का दरवाजा जोर लगाकर नहीं खोलना चाहिए

मूल स्लाइड से अंतर

मूल मद 4: 'आंतरिक खण्ड का दरवाजा (RESULT और PRINT बटन के ऊपर) ...' — MPSV/MPMV के आंतरिक खण्ड में PRINT बटन है ही नहीं; वहाँ RESULT-I, RESULT-II और CLEAR होते हैं। PRINT बटन M3A/MK-V का है। गलत लैंडमार्क + 'जोर न लगाएँ' की चेतावनी — इसी संयोजन से मतदान की सुबह दरवाजे टूटते हैं। MPSV में प्रिंट के लिए डिकोडर प्रिंटर को DI कनेक्टर से जोड़कर RESULT-II काम आता है — यह RO स्तर का कार्य है, मतदान दल का नहीं।

कंट्रोल यूनिट — पावर ON एवं CLEAR

- 1 स्विच ON**
पिछला ढक्कन खोलकर स्विच ON करें — बीप सुनाई देगी और डिस्ले पर ON लैम्प की GREEN बत्ती जलेगी
- 2 प्रारम्भिक प्रदर्शन**
प्रारम्भिक प्रदर्शन पूरा होने तक प्रतीक्षा करें — बीच में कुछ न दबाएँ
- 3 CLEAR दबाएँ**
यह सुनिश्चित करेगा कि सभी काउंट शून्य पर हैं
- 4 25 सेकण्ड**
क्लीयरिंग ऑपरेशन बीप ध्वनि के साथ लगभग 25 सेकण्ड लेता है
- 5 प्रदर्शन देखें**
प्रक्रिया पूरी होने पर प्रदर्शन पैनल क्रमिक रूप से जानकारी दिखाना शुरू करेगा

अभिकर्ताओं को दिखाइए

CLEAR के बाद का यह प्रदर्शन ही वह प्रमाण है कि मशीन खाली है। इसे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को स्वयं दिखाएँ — परिशिष्ट-6 भाग-1 की घोषणा 1(अ) इसी का अभिलेख है।

CLEAR के दो नोट — और CRC अनुक्रम

- **नोट 1** — क्लीयर ऑपरेशन के दौरान कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ न करें; समस्त संदेश समाप्त होने पर ही ऑफ करें
- **नोट 2 — यदि प्रदर्शन न आए** — इसका अर्थ है कि CLEAR से पूर्व के ऑपरेशन पूरे नहीं हुए हैं
- **पहले जाँचें** — BU एवं CU ठीक प्रकार कनेक्ट हैं
- **फिर CRC करें** — CLOSE दबाएँ → RESULT दबाएँ → प्रदर्शन समाप्त होने पर CLEAR दबाएँ
- **तब** — अब डिस्प्ले पर उपरोक्तानुसार सूचना प्रदर्शित होगी

CRC को याद रखने का सूत्र

C-R-C = CLOSE → RESULT → CLEAR. यही क्रम INVALID / INOPERATIVE संदेश पर भी लगेगा (अगली स्लाइड)। CRC के दौरान BU एवं CU जुड़ी रहनी चाहिए।

मतदान से पूर्व के त्रुटि संदेश — क्या करें

डिस्प्ले पर	क्या करें
CLOCK ERROR	सीयू परिवर्तित करावें — अपवाद: मध्यप्रदेश के स्वामित्व वाली MPMV में परिवर्तित नहीं करना है, पंचनामा बनाएँ
LINK ERROR / BU NOT RESPONDING	CU-BU का कनेक्शन हटाकर पुनः जोड़ें; एक से अधिक BU हो तो अनुक्रम (Sequence) सही करें
फिर भी LINK ERROR / BU #1/2 NOT RESPONDING	सम्बन्धित बैलट यूनिट परिवर्तित करावें
INVALID अथवा INOPERATIVE	CRC (CLOSE-RESULT-CLEAR) अनुक्रम पूरा कर मॉक पोल करें; CRC के दौरान BU व CU जुड़ी रहें
CRC के बाद भी वही त्रुटि	कंट्रोल यूनिट परिवर्तित करावें

यह जोड़ लें — तालिका में MPSV की पंक्ति नहीं है

रवानगी के समय की तालिका (PP1_p012) में CLOCK ERROR की पंक्तियाँ केवल M3A और MPMV के लिए हैं; MPSV छूट गई है। MPSV पर सामान्य नियम ही लागू होगा — मतदान से पूर्व CLOCK ERROR पर CU बदलवाएँ। मतदान प्रारम्भ हो जाने के बाद का उत्तर अलग है — अगली स्लाइडें (PP2_p029, p030) देखें।

CLOCK ERROR — एक ही संदेश, दो अलग उत्तर

कब	क्या करें	अभिलेख
रवानगी / मतदान प्रारम्भ से पूर्व	सीयू परिवर्तित करावें (MPMV को छोड़कर)	मशीन बदलने का इन्द्राज; नई मशीन पर पुनः मॉक पोल
मतदान प्रारम्भ हो जाने के बाद	सीयू परिवर्तित न करें — उसी सीयू से मतदान जारी रखें	क्लॉक एरर का पंचनामा; अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर; डायरी के साथ संलग्न
MPMV (मध्यप्रदेश की मशीन) — किसी भी समय	परिवर्तित नहीं करना है	पंचनामा

यह स्लाइड क्यों जोड़ी गई

डेक की दो स्लाइडें (PP2_p014 और PP2_p029) एक ही संदेश पर विपरीत निर्देश देती दिखती हैं। दोनों में से कोई गलत नहीं है — अंतर समय का है। यह भेद स्पष्ट किए बिना पढ़ाने पर आधे दल मशीन बदलवाएँगे और आधे नहीं, और सटे हुए वार्डों में एक ही दोष दो तरह से निपटेगा।

मॉक पोल के दौरान खराबी — पूरा सेट या एक यूनिट

- **पूरा सेट बदलें** — बीप की आवाज न आए, या Busy लैम्प लगातार चलती रहे, या Ready (हरी) लैम्प लगातार ब्लिंक करे — तीनों में BU व CU दोनों बदलवाएँ
- **केवल एक यूनिट बदलें** — मॉक पोल के दौरान यदि कोई एक यूनिट (BU अथवा CU) खराब हो तो केवल उसी खराब यूनिट को बदलवाएँ
- **CLEAR करना न भूलें** — मॉक पोल के पश्चात् मतों को CLEAR करना अनिवार्य है
- **सीलिंग** — कंट्रोल यूनिट की पावर OFF करने के पश्चात् ही सीलिंग प्रक्रिया सम्पन्न की जाए
- **सहायता कैसे लें** — अपने क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिकृत इंजीनियर की सेवाएँ लें

ध्यान दें — मॉक पोल में और मतदान के दौरान नियम अलग हैं

मॉक पोल के दौरान: केवल खराब यूनिट बदलें। मतदान के दौरान (PP2_p028): कोई भी एक यूनिट खराब हो तो पूरा सेट बदलें। दोनों को मिलाएँ नहीं।

03

मॉक पोल

मतदान से एक घंटा पूर्व · नोटा सहित प्रत्येक को 1-1 मत · परिशिष्ट-19

मॉक पोल कब, कौन और किसके सामने

- **कब** — मतदान प्रारम्भ होने से एक घंटा पूर्व — अर्थात् प्रातः 6:00 बजे (मतदान 7:00 से)
- **कौन करेगा** — पीठासीन अधिकारी स्वयं बनावटी मतदान (Mock Poll) करेगा
- **अभिकर्ता न हों तो** — कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं या केवल एक ही उपस्थित हो तो 15 मिनट तक अन्य अभिकर्ताओं की प्रतीक्षा करेगा
- **15 मिनट के बाद** — प्रतीक्षा के बाद भी न आएँ तो मॉक पोल रोकें नहीं — जो उपस्थित हैं उन्हीं के सामने करें
- **प्रमाण पत्र** — कार्यवाही के उपरान्त निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट-19) में प्रमाण पत्र देगा, जिस पर उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी होंगे
- **पूरा सेट बदले तो** — मतदान के दौरान मशीन खराबी से पूरा सेट बदला जाए तो उस पर भी बनावटी मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी

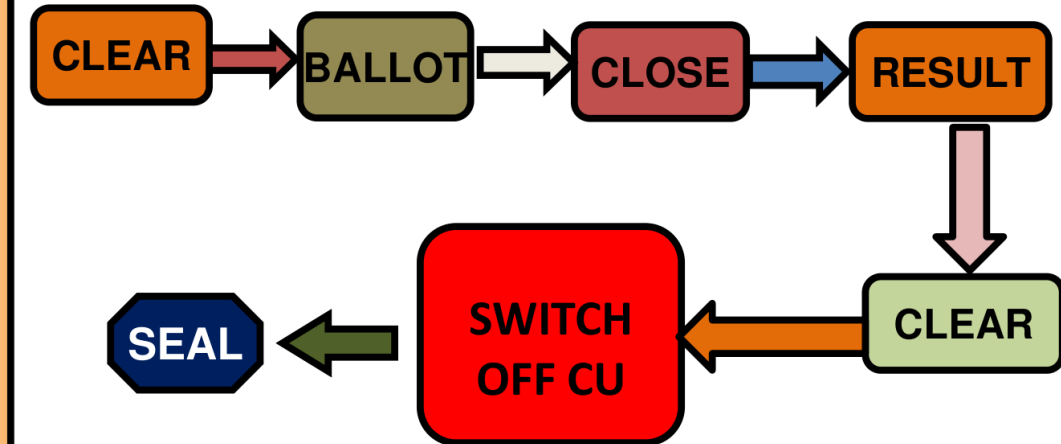
यह जोड़ लें

मतदान के बीच नई मशीन का मॉक पोल केवल दोहराना नहीं है — उसका अलग अभिलेख है: परिशिष्ट-6 का भाग-2 (नई मशीन की घोषणा) तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी की मद 29। विस्तार से आगे की स्लाइड देखें।

नमूने के मतदान हेतु बटनों का क्रम

नमूने मतदान हेतु काम में लिए गये बटनों का क्रम

नमूने का मतदान



डेक का अपना प्रवाह-चित्र: CLEAR → BALLOT → CLOSE → RESULT → CLEAR → SWITCH OFF CU → SEAL

यह चित्र सही है — इसे ही आधार बनाइए

इस प्रवाह-चित्र में CLOSE, RESULT से पहले है। आगे की क्रमांकित स्लाइडों (PP2_p018–p022) में CLOSE का चरण छूट गया है। जहाँ टकराव लगे, यही चित्र और PP2_p036 का चित्र मान्य हैं।

मॉक पोल का प्रामाणिक क्रम — नौ चरण

- 1 • CLEAR**
मशीन खाली है — अभिकर्ताओं को डिस्प्ले दिखाएँ
- 2 • सफेद पर्चियाँ**
मॉक पोल में भाग लेने वालों को सदस्य पद हेतु सफेद पर्ची जारी करें, फिर वापस लेकर संग्रहित करें
- 3 • BALLOT**
तृतीय मतदान अधिकारी CU के बैलट खण्ड पर BALLOT दबाएगा — मतदाता नहीं
- 4 • मत**
मॉक-वोटर BU पर बटन दबाएगा; नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 1-1 मत अनिवार्य
- 5 • TOTAL**
TOTAL दबाकर कुल मतों का मिलान परिशिष्ट-19 के लेखे से करें
- 6 • CLOSE**
CLOSE की कैप हटाकर दबाएँ → POLL CLOSED प्रदर्शित होगा → कैप वापस लगाएँ
- 7 • RESULT-I → मिलान → CLEAR → TOTAL = 0**
RESULT-I का परिणाम परिशिष्ट-19 से मिलाएँ; फिर CLEAR दबाकर सब शून्य करें और TOTAL से शून्य की पुष्टि करें

CLOSE के बिना RESULT चलेगा ही नहीं

ECIL MPSV पुस्तिका अध्याय 7 की त्रुटि तालिका, पंक्ति 3(iv): CLOSE दबाए बिना RESULT-I दबाने पर मशीन 'INVALID OPERATION' और बाधित बीप देगी। इसके बाद: परिशिष्ट-19 पर हस्ताक्षर → CU स्विच OFF → परिणाम खण्ड की सीलिंग।

मॉक पोल — चरण 1 से 3

- 1 · सफेद पर्ची**
मॉक पोल में भाग लेने वाले सदस्यों (अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता / मतदान दल) को सदस्य पद के लिए सफेद पर्ची जारी की जाएगी
- 2 · पर्ची वापस**
पीठासीन अधिकारी सफेद पर्चियाँ संग्रहित करेगा, तत्पश्चात् मॉकपॉल वोटर को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी; प्रत्येक को एक ही वोट डालना होगा
- 3 · BALLOT**
तृतीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट के बैलट खण्ड पर BALLOT बटन दबाएगा; डिस्प्ले पर लाल Busy लैम्प जलेगा और BU पर हरी बत्ती जलेगी

मूल स्लाइड से अंतर

मूल मद 3: 'मतदाता कंट्रोल यूनिट के बैलट सेक्शन पर BALLOT बटन दबाएगा।' — यह विधि-विरुद्ध है। मार्गदर्शिका अ.9(6)1: 'Ballot बटन, कंट्रोल यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा दबाया जायेगा।' CU पीठासीन अधिकारी की मेज पर, अभिकर्ताओं की पूर्ण दृष्टि में रहती है (नियम 32-ख(6)); मतदाता केवल मतदान प्रकोष्ठ में रखी बैलट यूनिट तक जाता है। जिस दल ने यह रट लिया, वह वास्तविक मतदान में भी यही करेगा — मशीन की अभिरक्षा और मत की गोपनीयता दोनों भंग।

मॉक पोल — चरण 4 से 6

- 1 4 · मत अंकित**
BU पर उम्मीदवार का बटन दबाने से सम्बन्धित तीर लैम्प लाल जलता है एवं लम्बी बीप की आवाज आती है
- 2 5 · अगला मत**
मतदान पूरा होते ही BU की हरी Ready बत्ती, उम्मीदवार की लाल बत्ती और बीप एक साथ बंद हो जाएँगी; कुछ सेकण्ड बाद CU की लाल Busy बत्ती भी बंद होगी — मशीन अगले वोट के लिए तैयार
- 3 6 · दोहराएँ**
अन्य मॉकपॉल वोटर्स के लिए बिन्दु 1 से 5 की प्रक्रिया दोहराएँ; नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम एक-एक मत अवश्य पड़े
- 4 6-क · लेखा**
प्रत्येक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में किए गए मॉकपॉल का पूर्ण लेखा परिशिष्ट-19 के अनुसार तैयार करें — यही बाद में RESULT-I से मिलाया जाएगा

यह जोड़ लें — नोटा का पैनल

मूल स्लाइड 'नोटा सहित' नहीं कहती। यदि नोटा को एक भी मॉक मत न मिला, तो नोटा का पैनल जाँचा ही नहीं गया — और मतदान के दौरान उसकी खराबी पकड़ में नहीं आएगी। यही वह एक पैनल है जिस पर आपत्ति सबसे अधिक होती है।

चरण 7 — RESULT से पहले CLOSE

- 1 **7-क · TOTAL**
TOTAL दबाकर कुल मॉक मतों की संख्या देखें और परिशिष्ट-19 के लेखे से मिलाएँ; अभिकर्ताओं को भी दिखाएँ
- 2 **7-ख · कैप हटाएँ**
CLOSE बटन की प्लास्टिक/रबर कैप हटाएँ
- 3 **7-ग · CLOSE दबाएँ**
डिस्प्ले क्रमशः CLOSING → NUMBER OF POSTS → DTE/TME → TOTAL VOTERS → मशीन क्रमांक → POLL CLOSED दिखाएगा
- 4 **7-घ · कैप वापस**
कैप तुरन्त वापस लगाएँ — खुली कैप छोड़ना घोर चूक है
- 5 **7-ङ · अब RESULT-I**
अब आंतरिक खण्ड में RESULT-I दबाएँ

मूल स्लाइड से अंतर

मूल क्रम में चरण 6 (मॉक वोट दोहराना) के तुरन्त बाद चरण 7 'अब CU पर स्थित RESULT बटन दबाएं' आता है — बीच में CLOSE का कोई चरण नहीं है। यह केवल चूक नहीं है: CLOSE दबाए बिना RESULT-I दबाने पर मशीन 'INVALID OPERATION' और बाधित बीप देगी (MPSV अध्याय 7, पंक्ति 3(iv))। अर्थात् डेक का चरण 7 अकेला चलेगा ही नहीं, और दल एक बिलकुल स्वस्थ मशीन को खराब समझकर बदलवाने भेज देगा — मतदान से पहले के 60 मिनट में।

चरण 8 एवं 9 — परिणाम का मिलान और CLEAR

- 1 **8 · मिलान**
CU पर प्रदर्शित मॉकपॉल परिणाम तथा परिशिष्ट-19 के अनुसार अलग से तैयार लेखे से मिलान कर परिणाम के सही होने की पुष्टि करें
- 2 **8-क · अभिकर्ताओं को दिखाएँ**
मिलान अभिकर्ताओं के सामने हो; परिशिष्ट-19 में यही लिखा है कि 'कोई भिन्नता नहीं है'
- 3 **9 · CLEAR**
मॉकपॉल के दौरान दर्ज मतों को मिटाने के लिए CLEAR दबाएँ — कुल मतदाताओं की संख्या तथा प्रत्येक उम्मीदवार को मिले मत शून्य हो जाएँगे
- 4 **9-क · शून्य की पुष्टि**
CLEAR के बाद TOTAL दबाकर शून्य की पुष्टि करें और अभिकर्ताओं को दिखाएँ

मूल स्लाइड से अंतर

मूल उदाहरण: '(यदि 9 उम्मीदवार हैं एवं मॉकपॉल में 54 मत पड़े हैं एवं सभी उम्मीदवारों को 6-6 दिये गये हों तो)' — गणित सही है ($9 \times 6 = 54$) पर नोटा का पैनल छूटा हुआ है। नोटा सहित 10 पैनल होते और उदाहरण $10 \times 6 = 60$ होता। सही उदाहरण लिखवाएँ — '9 अभ्यर्थी + नोटा = 10 पैनल; प्रत्येक को 6 मत; कुल 60 मत' (काल्पनिक अंक)।

परिशिष्ट-19 कहाँ लगेगा और डायरी में कहाँ लिखा जाएगा

बात	मूल स्लाइड	सही
परिशिष्ट-19 किसके साथ संलग्न	परिशिष्ट-7	परिशिष्ट-6 (पीठासीन अधिकारी की घोषणाएँ); लिफाफा E-10
पीठासीन अधिकारी की डायरी है	परिशिष्ट-8	परिशिष्ट-7 (30 मर्दे)। परिशिष्ट-8 = प्ररूप 14-ग का भरा हुआ नमूना
मॉकपॉल का इन्द्राज किस मद पर	बिन्दु 25	बिन्दु 30 — 'अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण'

- **मद 30 स्वयं यही कहती है** — 'पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये मॉकपॉल एवं तैयार किये गये प्रमाणपत्र (परिशिष्ट-19) का विवरण अंकित करें'
- **चेतावनी** — परिणाम अनुभाग को सील करने से पहले CU को स्विच ऑफ करना न भूलें

मूल स्लाइड से अंतर

मूल वाक्य में तीनों संख्याएँ गलत हैं। सबसे गम्भीर 'बिन्दु 25' है: डायरी की मद 25 'क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में ली गई किसी मतदान मशीन द्वारा मतदान को निष्फल बनाया गया' है — अभिरक्षा से अवैध रूप से बाहर ले जाना, खो जाना/नष्ट होना, विनिष्ट या गड़बड़ी। एक सामान्य मॉक पोल को मद 25 में लिख देने पर अभिलेख यह कहेगा कि उस केन्द्र पर मशीन द्वारा मतदान निष्फल हुआ था — RO के स्तर पर अनावश्यक जाँच। डेक की अपनी अनुक्रमणिका भी परिशिष्ट-7 को डायरी और परिशिष्ट-8 को प्ररूप 14-ग बताती है।

अंतिम चरण — END, स्विच ऑफ, फिर सीलिंग

- 1 **8 · CLEAR के बाद**
डिस्प्ले सेक्शन पर END प्रदर्शित होने के बाद ही आगे बढ़ें
- 2 **9 · स्विच ऑफ**
कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें
- 3 **10 · परिशिष्ट-19 पर हस्ताक्षर**
उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम लिखकर उनके हस्ताक्षर कराएँ; अपना नाम व हस्ताक्षर भी करें
- 4 **11 · सीलिंग**
अब परिणाम खण्ड की सीलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ करें (खण्ड 4)

मूल स्लाइड से अंतर

मूल डेक में यही निर्देश दो बार आता है — PP2_p021 पर '9' और PP2_p022 पर '12' के क्रमांक से, जबकि '9' पहले CLEAR के लिए काम में लिया जा चुका है और 10 व 11 कहीं हैं ही नहीं। क्रमांकित चेकलिस्ट पर काम करता दल यह नहीं बता सकता कि दो चरण छूट गए हैं या अंतिम दो स्लाइडें एक ही चरण दो बार हैं। यहाँ क्रमांक सुधारकर एक ही सूची दी गई है।

मॉक पोल की तीन छूटें और एक अनिवार्यता

विषय	स्थिति
मॉक-वोटरों की संख्या	समय की उपलब्धता के आधार पर अधिक/कम की अनुमति — कोई निश्चित संख्या नहीं
प्रत्येक अभ्यर्थी को समान मत	आवश्यक नहीं — असमान भी चलेगा
नोटा सहित प्रत्येक को न्यूनतम 1-1 मत	अनिवार्य
मॉक मतों को CLEAR करना	अनिवार्य — भूलना नहीं

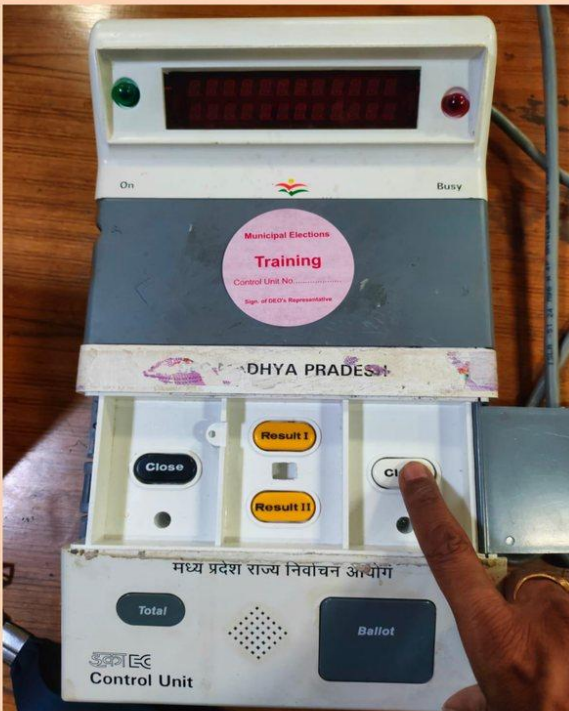
यह स्लाइड सही है — इसे बदलें नहीं

यह डेक की एकमात्र स्लाइड है जो मार्गदर्शिका का मूल पाठ ज्यों का त्यों दोहराती है। जहाँ PP2_p026 और PP2_p027 'समान मत' की शर्त लगाते हैं, वहाँ यही स्लाइड मान्य है। कक्षा में दोनों साथ दिखाकर पूछें — 'कौन-सी सही है?'

मॉक पोल की शुरुआत — CLEAR दबाकर खाली मशीन दिखाना

पूरक

मौक पोल की प्रक्रिया



- आपको सबसे पहले “क्लीयर” बटन दबाना है।
- क्लीयर बटन दबाकर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखाएँ कि मशीन में कोई मत रिकॉर्ड नहीं है , इस समय डिस्प्ले इस प्रकार हैं

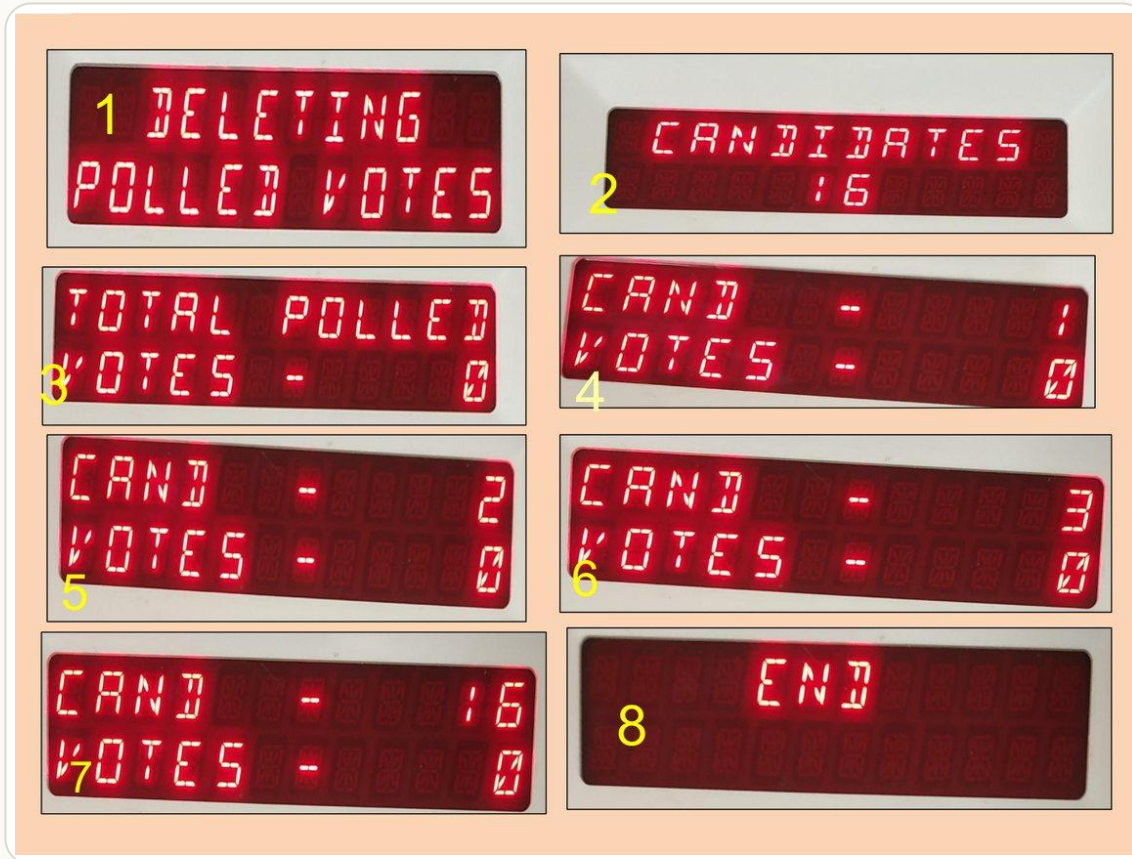
- **पहला काम** — सबसे पहले CLEAR बटन दबाना है
- **क्यों** — CLEAR दबाकर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएँ कि मशीन में कोई मत रिकॉर्ड नहीं है
- **यह अभिलेख बनेगा** — यही परिशिष्ट-6 भाग-1 की घोषणा 1(अ) है — 'मतदान मशीन सुचारू रूप से कार्य कर रही है और उसके भीतर कोई मत अभिलिखित नहीं है'

चित्र और आपकी मशीन

चित्र की मशीन पर Result I / Result II साफ दिखते हैं — यह आपकी MPSV से मिलती-जुलती है; किन्तु पट्टी मध्यप्रदेश की है और आपकी मशीन पर 'राज्य निर्वाचन आयोग - राजस्थान' लिखा होगा। कक्षा में यह अंतर एक वाक्य में बता दें।

मूल चित्र — CLEAR बटन दबाते हुए। ध्यान दें: यह मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की कंट्रोल यूनिट है ('Training' का पिंक स्टिकर तथा 'MADHYA PRADESH' की पट्टी)।

CLEAR दबाने पर डिस्प्ले — आठ पर्दे



मूल स्लाइड — CLEAR के बाद डिस्प्ले पर क्रमशः: DELETING POLLED VOTES → CANDIDATES → TOTAL POLLED VOTES 0 → CAND-1 VOTES 0 ... → END

- **क्या दिखाना है** — अभिकर्ताओं को अंगुली रखकर दिखाएँ कि TOTAL POLLED VOTES 0 है और प्रत्येक CAND के आगे 0 है
- **END आने तक रुकें** — अंतिम पर्दे पर END आने से पहले CU को स्विच ऑफ न करें
- **पैनलों की संख्या** — चित्र में CANDIDATES 16 दिख रहा है; आपकी MPSV में यह अंक नोटा सहित पैनलों की संख्या के अनुसार होगा (अधिकतम 15 प्रति BU)

मॉक वोट कैसे डाले जाएंगे

- **सही वाक्य** — अब बैलेट बटन दबाकर बनावटी मतदान किया जाएगा। नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 1-1 मत दिया जाना अनिवार्य है। मतों का समान होना आवश्यक नहीं है।
- **बैलेट कौन दबाएगा** — तृतीय मतदान अधिकारी / पीठासीन अधिकारी — मॉक-वोटर नहीं
- **नोटा कहाँ है** — बैलेट यूनिट का अंतिम पैनल — 'नोटा (इनमें से कोई नहीं)'
- **लेखा साथ-साथ** — हर मत के साथ परिशिष्ट-19 में पंक्ति भरते चलें — बाद में याद से भरना मिलान बिगाड़ देता है

मूल स्लाइड से अंतर

मूल पंक्ति: 'इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को समान मत दिए जायेंगे किन्तु न्यूनतम दिए गए मतों की संख्या 01 होनी चाहिए' — दो दोष: (1) 'समान मत' कोई शर्त है ही नहीं, और डेक की अपनी PP2_p023 तथा ECIL पुस्तिका दोनों इसे स्पष्ट रूप से नकारती हैं; (2) 'नोटा सहित' लिखा ही नहीं, जबकि नोटा को भी कम से कम एक मत देना अनिवार्य है। डेक का अपना नमूना परिणाम (PP2_p034) भी असमान मत दिखाता है — CANDIDATE-01 को 3, CANDIDATE-02 को 1।

एक मत की पूरी प्रक्रिया — बत्ती और बीप से पहचानिए

- 1 बैलट दबते ही**
BU में हरी (Ready) बत्ती जल जाएगी
- 2 नीला बटन**
बैलट यूनिट में सम्बन्धित उम्मीदवार के सामने का नीला बटन दबाने पर BU में लाल बत्ती जलेगी
- 3 बीप**
CU में बीप की आवाज सुनाई देगी — तभी मत देने की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी
- 4 कब तक दोहराएँ**
यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम एक-एक मत न मिल जाए
- 5 समाप्ति**
वांछित संख्या में मत देने के बाद TOTAL से मिलान करें, फिर CLOSE बटन दबाकर मत-प्रक्रिया समाप्त करें

मूल स्लाइड से अंतर

मूल पंक्ति: 'यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक सभी उम्मीदवारों को समान मत नहीं मिल जाए।' — समान मत की कोई शर्त नहीं है; शर्त यह है कि नोटा सहित प्रत्येक को कम से कम एक मत मिल जाए। समानता के पीछे भागने में मॉक पोल का समय व्यर्थ जाता है और नोटा फिर भी छूट सकता है।

मतदान के दौरान मशीन खराब हो जाए

- **एक यूनिट भी खराब** — मतदान के दौरान यदि कोई भी एक यूनिट (BU अथवा CU) खराब हो तो पूरा सेट (BU एवं CU दोनों) परिवर्तित करें
- **LINK ERROR** — कनेक्शन हटाकर पुनः जोड़ें; एक से अधिक BU हो तो अनुक्रम सही करें
- **फिर भी** — 'LINK ERROR / BU #1/2 NOT RESPONDING' बना रहे तो पूरा सेट बदलें
- **नई मशीन आए तो** — पुनः मॉक पोल आयोजित किया जाए — नोटा सहित प्रत्येक को न्यूनतम 1-1 मत
- **Close की कैप** — मतदान के दौरान Close बटन की कैप लगाकर रखें; गलती से भी Close नहीं दबना चाहिए

यह जोड़ लें — नई मशीन का अभिलेख

मूल स्लाइड 'पुनः मॉक पोल' पर रुक जाती है। नई मशीन का मॉक पोल तीन अभिलेख माँगता है: (1) परिशिष्ट-6 का भाग-2 — 'बाद वाली मतदान मशीन के उपयोग के समय घोषणा', उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर तथा इन्कार करने वालों के नाम सहित; (2) डायरी की मद 29; (3) नई मशीन का परिशिष्ट-19। मॉकपोल प्रमाणपत्र की दो प्रतियाँ इसीलिए दी जाती हैं।

मतदान के बीच नई मशीन — सात कदम, कोई छूटे नहीं

- 1 · पुरानी मशीन**
पुरानी CU को उसी अवस्था में सुरक्षित करें; उसमें पड़े मत मतगणना में गिने जाएँगे — CLEAR कभी न करें
- 2 · नई मशीन जोड़ें**
नई CU व BU जोड़कर CLEAR दबाएँ और अभिकर्ताओं को खाली मशीन दिखाएँ
- 3 · मॉक पोल**
नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 1-1 मत
- 4 · TOTAL → CLOSE → RESULT-I → मिलान**
वही पूरा क्रम, कोई चरण छोटा नहीं
- 5 · CLEAR → TOTAL = 0**
मॉक मत मिटाकर शून्य की पुष्टि अभिकर्ताओं को दिखाएँ
- 6 · घोषणा**
परिशिष्ट-6 का भाग-2 भरें — हस्ताक्षर तथा इन्कार करने वालों के नाम
- 7 · अभिलेख**
नई मशीन का परिशिष्ट-19 भरें और डायरी की मद 29 में इन्द्राज करें; मशीनों के क्रमांक डायरी की मद 5 में जोड़ें

यह स्लाइड क्यों जोड़ी गई

मूल डेक 'पुनः मॉक पोल आयोजित किया जाए' पर रुक जाता है। मतदान के बीच मशीन बदलना वह क्षण है जब सबसे अधिक चूक होती है और वही सबसे अधिक प्रश्नगत होता है। मॉक-मतों की कोई अलग संख्या मार्गदर्शिका में विहित नहीं है — वही सामान्य नियम (नोटा सहित 1-1) लागू मानें।

मतदान के दौरान — बीप, बत्ती और क्लॉक एरर

- **पूरा सेट बदलें** — बीप न आए, या Busy लैम्प लगातार चले, या Ready लैम्प लगातार ब्लिंक करे — तीनों में BU व CU दोनों बदलवाएँ
- **एक बटन, एक प्रक्रिया** — कोई बटन दबाने के बाद उस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही अगला बटन दबाएँ
- **CLOCK ERROR — मतदान के दौरान** — सीयू परिवर्तित न कराते हुए उसी सीयू का उपयोग करें
- **पंचनामा बनाएँ** — सारणी के कॉलम 3 में क्लॉक एरर या मशीन में प्रदर्शित समय का इन्द्राज करें
- **हस्ताक्षर** — पंचनामे पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लें
- **कहाँ जाएगा** — चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् पंचनामा पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ लगाकर रखा जाएगा

यह जोड़ लें

तीन समय दर्ज होंगे — मॉकपॉल, मतदान प्रारंभ और मतदान समाप्ति; प्रत्येक के सामने वास्तविक समय और CU में प्रदर्शित समय। पंचनामे का प्रमाणन-वाक्य यही है कि 'घड़ी में प्रदर्शित समय से निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है'।

क्लॉक एरर संबंधी पंचनामा — दो खाने बदलवाएँ

सुधार

क्लॉक एरर संबंधी पंचनामा

मतदान केन्द्र क्रमांक.....
 मतदान केन्द्र का नाम.....
 पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....
 जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....
 कंट्रोल यूनिट का आईडी क्रमांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्लॉक में निम्नानुसार समय प्रदर्शित हुआ—

गतिविधि	वास्तविक समय	कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित समय/क्लॉक एरर
1	2	3
मौकपोल		
मतदान प्रारंभ करने के समय		
मतदान समाप्त करने के समय		

इस तथ्य की पुष्टि की जाती है कि घड़ी (Clock) में प्रदर्शित समय से निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

क्र.स	मतदान अभिकर्ता का नाम	संबंधित पार्टी का नाम	हस्ताक्षर
1			
2			
3			

मूल प्रपत्र — तीसरी और चौथी पंक्ति पर अंगुली रखें: 'पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या' तथा 'जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या'।

प्रपत्र में छपा

इस चुनाव में लिखवाएँ

पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या

नगरपालिका का नाम

जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या

वार्ड संख्या

'उक्त पंचायत समिति / जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र में ...'

'उक्त नगरपालिका के वार्ड में ...'

मूल स्लाइड से अंतर

यह पंचायत चुनाव का क्लॉक-एरर पंचनामा है। पंचायत समिति और जिला परिषद पंचायतीराज की संस्थाएँ हैं; नगरपालिका चुनाव में इनका अस्तित्व ही नहीं है, अतः दल एक ऐसा प्रपत्र भर ही नहीं सकता जिसके दो पहचान-खाने इस चुनाव में हैं ही नहीं। शेष ढाँचा सही है — तीन समय, वास्तविक बनाम प्रदर्शित, PRO के हस्ताक्षर, अभिकर्ताओं की तालिका। केवल दो खाने और एक पंक्ति बदलनी है।

मॉक पोल की समाप्ति — CLOSE

मतदान के समय डिस्प्ले



सभी उम्मीदवारों को वांछित मत देने के बाद क्लोज बटन दबा कर बनावटी मतदान की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा



मूल स्लाइड — 'सभी उम्मीदवारों को वांछित मत देने के बाद क्लोज बटन दबा कर बनावटी मतदान की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा'। दाहिने चित्र में CLOSE दबाते हुए अंगुली दिखती है।

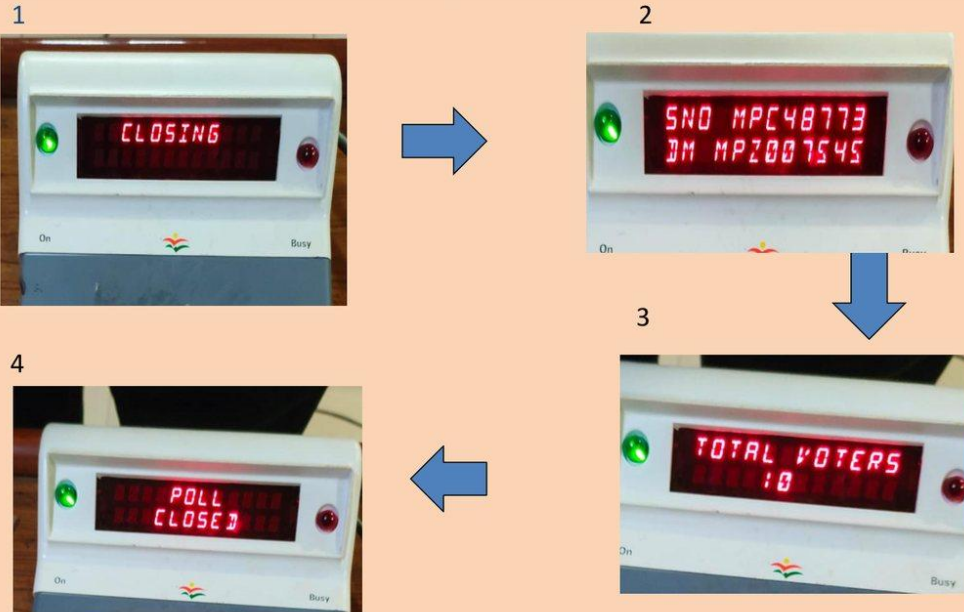
यही वह चरण है जो क्रमांकित सूची में छूटा था

इस स्लाइड का वाक्य सही है और यह PP2_p020 के 'सीधे RESULT' वाले चरण को स्वयं काट देता है। कक्षा में दोनों साथ दिखाएँ। कैप हटाएँ → CLOSE दबाएँ → कैप वापस लगाएँ।

CLOSE दबाने पर डिस्प्ले — चार पर्दे

कंट्रोल यूनिट

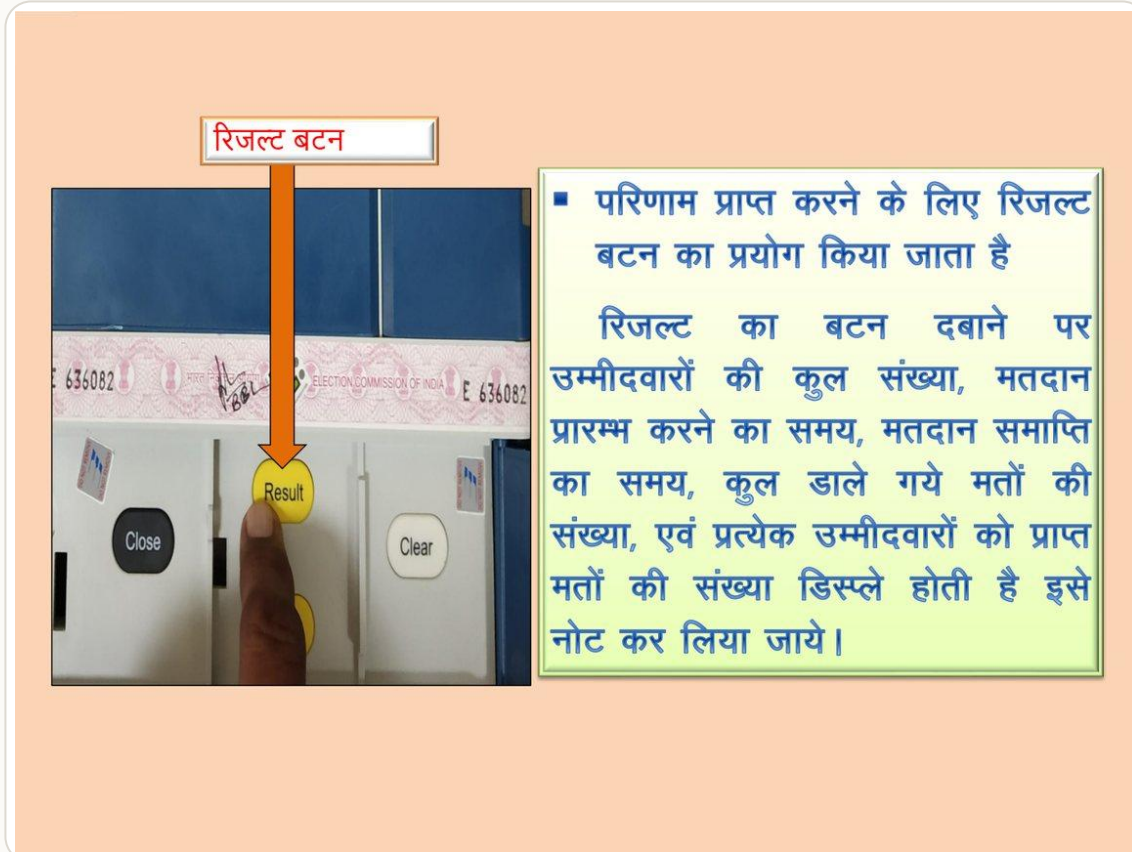
- क्लोज बटन दबाने पर निम्न सूचना डिस्प्ले होगी



मूल स्लाइड — CLOSING → मशीन क्रमांक (SNO / DM) → TOTAL VOTERS → POLL CLOSED

- **POLL CLOSED आने तक रुकें** — अंतिम पर्दा POLL CLOSED आने से पहले कुछ न दबाएँ
- **मशीन क्रमांक नोट करें** — यही क्रमांक परिशिष्ट-19, डायरी की मद 5 और प्ररूप 14-ग के शीर्ष पर जाएगा
- **आपकी मशीन पर** — चित्र में 'SNO MPC48773 / DM MPZ007545' मध्यप्रदेश की मशीन का है; MPSV पर RJSCU... / RJSDM... के रूप में आएगा

रिजल्ट बटन — क्या-क्या दिखाएगा

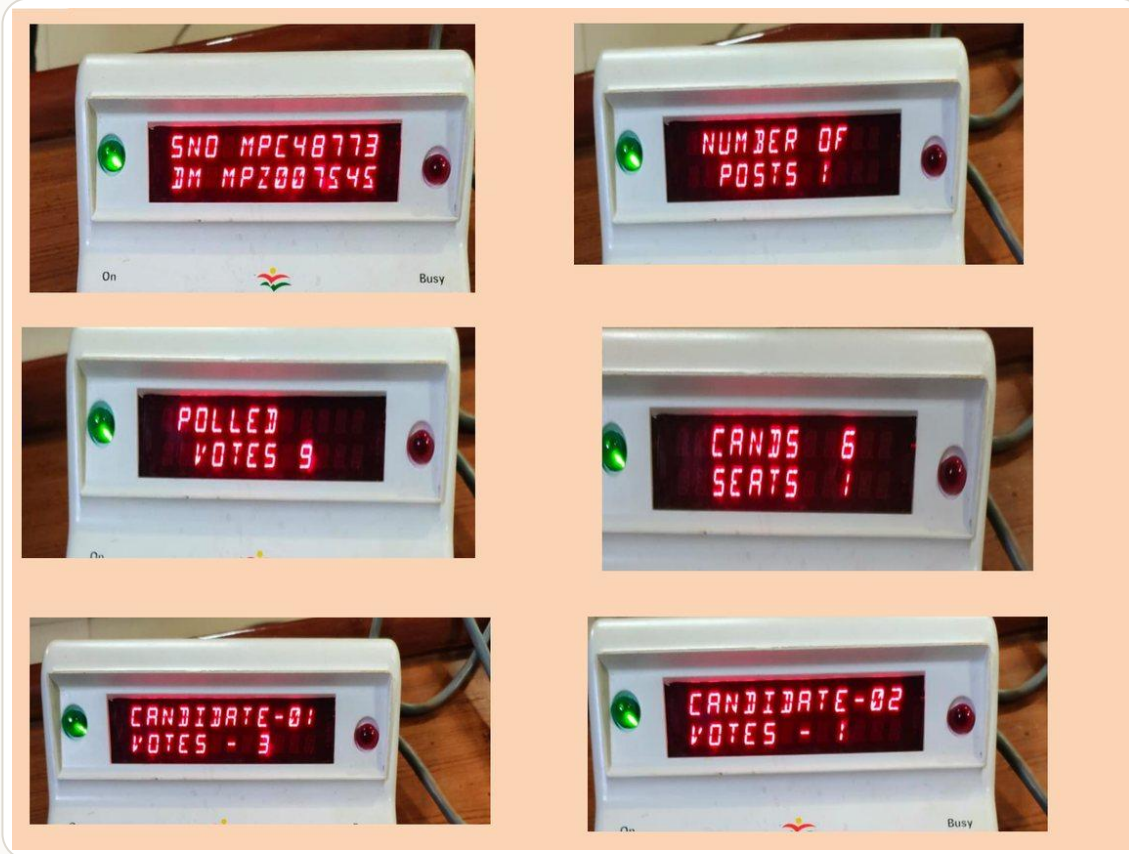


मूल स्लाइड — Result बटन दबाते हुए। यह चित्र भारत निर्वाचन आयोग की मशीन का है (पिंक सील पर 'ELECTION COMMISSION OF INDIA')।

- **क्या दिखेगा** — उम्मीदवारों की कुल संख्या, मतदान प्रारम्भ का समय, मतदान समाप्ति का समय, कुल डाले गए मतों की संख्या तथा प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मत
- **नोट कर लें** — प्रदर्शित परिणाम को परिशिष्ट-19 के लेखे के सामने रखकर मिलाएँ
- **आपकी मशीन पर** — MPSV में यह RESULT-I है; RESULT-II मतगणना/प्रिंटर हेतु RO स्तर का बटन है

RESULT-I का प्रदर्शन-क्रम — छह पर्दे

पूरक



मूल स्लाइड — मशीन क्रमांक → NUMBER OF POSTS 1 → POLLED VOTES → CANDS/SEATS → CANDIDATE-01 VOTES 3 → CANDIDATE-02 VOTES 1

- **NUMBER OF POSTS 1** — यही आपके चुनाव की पुष्टि है — मतदान केन्द्र पर एक ही पद
- **असमान मत** — इसी चित्र में CANDIDATE-01 को 3 और CANDIDATE-02 को 1 मत हैं — यह स्वयं सिद्ध करता है कि 'समान मत' कोई शर्त नहीं
- **नोटा की पंक्ति** — अंतिम पैनल की पंक्ति भी आएगी — उसे परिशिष्ट-19 में अवश्य दर्ज करें

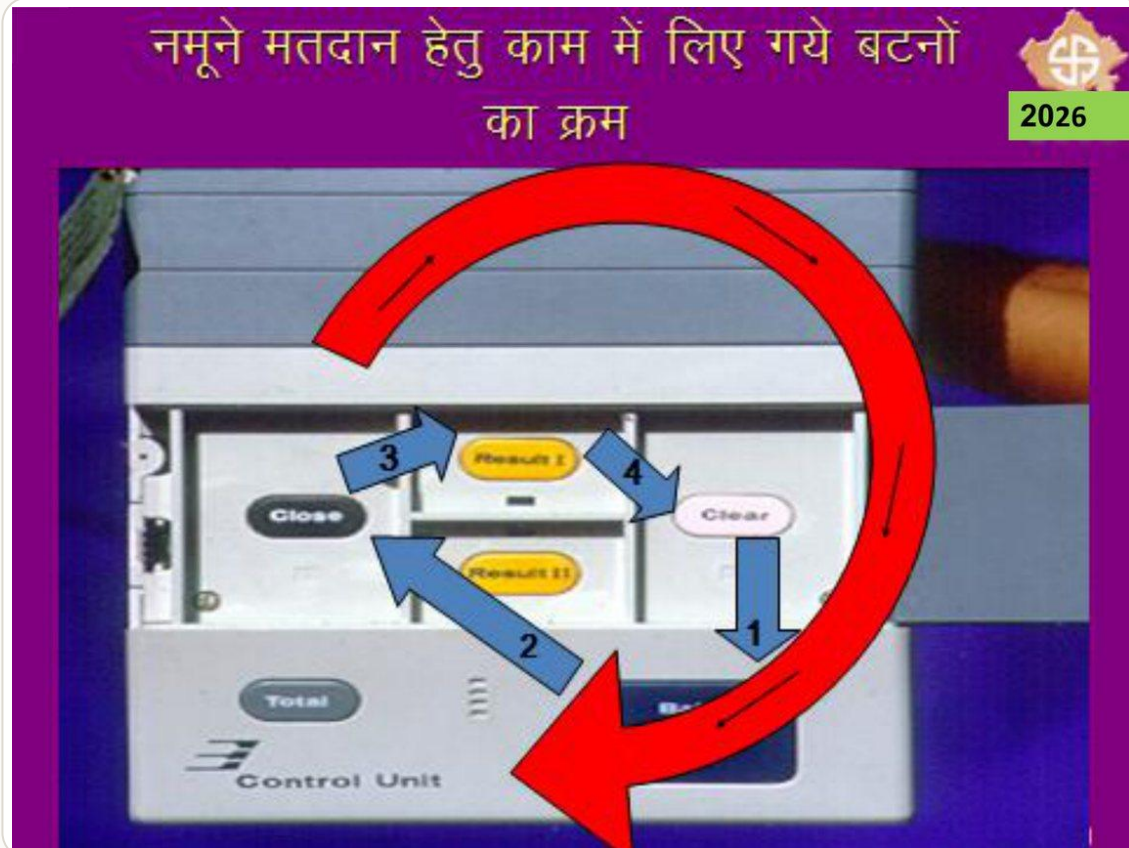
मॉक पोल का प्रमाण पत्र — किसके हस्ताक्षर, कहाँ जमा

- **कब** — नमूने के मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर तुरन्त
- **किस प्ररूप में** — उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्ररूप — परिशिष्ट-19 — में
- **हस्ताक्षर** — पीठासीन अधिकारी अपना नाम एवं हस्ताक्षर करेगा तथा उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम लिखकर उनके भी हस्ताक्षर कराएगा
- **किसके साथ संलग्न** — परिशिष्ट-6 (पीठासीन अधिकारी की घोषणाएँ) के साथ
- **किस लिफाफे में** — लिफाफा E-10 — 'पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएँ व मॉकपॉल प्रमाण पत्र' (सील नहीं किया जाने वाला लिफाफा)
- **डायरी में इन्द्राज** — परिशिष्ट-7 की मद 30 में

मूल स्लाइड से अंतर

मूल पंक्ति: 'यह प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ जमा कराया जायेगा।' — डेक में परिशिष्ट-19 के गंतव्य के तीन अलग-अलग उत्तर हैं (यहाँ 'डायरी के साथ', PP2_p021 पर 'परिशिष्ट-7 के साथ')। सही उत्तर एक ही है — परिशिष्ट-6 के साथ, लिफाफा E-10 में; डायरी में केवल मद 30 पर इन्द्राज। तीनों पृष्ठ एक साथ ठीक कराएँ।

बटनों का क्रम — मशीन पर दिखाकर



मूल चित्र — तीर 1 Ballot पर, 2 Close पर, 3 Result I पर, 4 Clear पर। इसी क्रम पर अंगुली फिराते हुए बोलें।

यह चित्र भी **CLOSE** को **RESULT** से पहले रखता है

PP2_p017 और यह चित्र — डेक के दोनों प्रवाह-चित्र सही क्रम दिखाते हैं। केवल क्रमांकित पाठ (p018–p022) में CLOSE छूटा है। कक्षा में यही दो चित्र प्रमाण के रूप में दिखाएँ।

मॉक पोल की महत्ता — मशीन अब वास्तविक मतदान के लिए तैयार

- 1 मिलान**
मॉक पोल के परिणाम का कंट्रोल यूनिट परिणाम से मिलान करें
- 2 CLEAR**
कंट्रोल यूनिट का CLEAR बटन दबाकर सभी उम्मीदवारों के मत शून्य करें
- 3 शून्य दिखाएँ**
अभिकर्ताओं को शून्य वाला डिस्प्ले स्वयं दिखाएँ
- 4 स्विच ऑफ**
मशीन को स्विच ऑफ करें
- 5 सील**
अब सील करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है

क्रम पलटें नहीं

CLEAR से पहले सील नहीं, और स्विच ऑफ से पहले परिणाम खण्ड की सीलिंग नहीं। मॉक मत मशीन में छूट जाना उस बूथ के पूरे मतदान को प्रश्नगत कर देता है।

परिशिष्ट-19 — मॉकपॉल प्रमाण पत्र का प्ररूप

पूरक

(परिशिष्ट-19)

प्रारूप मॉकपॉल प्रमाण पत्र

क्र.सं.	मॉकपॉल में भाग लेने वाले सदस्य का नाम	मॉकपॉल वोटर पर्ची क्रमांक	मतदान किये गये अभ्यर्थी की क्रम संख्या (जिसको वोट दिया है)	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपॉल के अनुसार मॉकपॉल परिणाम में प्राप्त मतों की संख्या तथा कन्ट्रोल यूनिट से Result-I बटन दबाने से प्राप्त मतों की संख्या का मिलान कर प्रदर्शित कर दिया गया है। जिसमें कोई भिन्नता नहीं है।
मॉकपॉल के पश्चात् ई.वी.एम. में रिकॉर्ड किये गये मतों को Clear (डिलीट) कर दिया गया है।

(पीठासीन अधिकारी)

स्तम्भ	क्या भरना है
1	क्र.सं.
2	मॉकपॉल में भाग लेने वाले सदस्य का नाम
3	मॉकपॉल वोटर पर्ची क्रमांक
4	जिस अभ्यर्थी को वोट दिया, उसकी क्रम संख्या (नोटा भी एक क्रम संख्या है)
5	हस्ताक्षर

नीचे के दो वाक्य ही असली प्रमाणन हैं

(1) 'उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपॉल के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या तथा कन्ट्रोल यूनिट से Result-I बटन दबाने से प्राप्त मतों की संख्या का मिलान कर प्रदर्शित कर दिया गया है, जिसमें कोई भिन्नता नहीं है।' (2) 'मॉकपॉल के पश्चात् ई.वी.एम. में रिकॉर्ड किये गये मतों को Clear (डिलीट) कर दिया गया है।' — दोनों वाक्य वही दो काम माँगते हैं जो क्रमांकित सूची में छूटे थे।

मूल प्रपत्र — चार स्तम्भ तथा नीचे दो प्रमाणन-वाक्य। कक्षा में यह प्रपत्र भरवाकर ही आगे बढ़ें।

मॉक पोल के तुरन्त बाद — तीन अभिलेख, एक भी न छूटे

परिशिष्ट-19

मॉकपॉल प्रमाण पत्र — सदस्यों के नाम, पचीं क्रमांक, किसे मत, हस्ताक्षर
PRO के हस्ताक्षर + उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-6 भाग-1

मतदान प्रारम्भ से पूर्व की घोषणा — मशीन खाली, चिह्नित प्रति साफ, 14-क खाली
पेपर सील पर PRO व अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

डायरी मद 30

'अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण' — मॉकपॉल एवं परिशिष्ट-19 का विवरण
मद 25 पर कभी नहीं

लिफाफा E-10

परिशिष्ट-19 को परिशिष्ट-6 के साथ संलग्न कर इसी लिफाफे में
यह लिफाफा सील नहीं किया जाता

यह स्लाइड क्यों जोड़ी गई

परिशिष्ट-19 न तो PP1_p070–p073 की 'PRO के प्रपत्र' सूची में है, न प्रपत्र-पुस्तिका की अनुक्रमणिका में — दोनों परिशिष्ट-15A पर समाप्त हो जाती हैं। जो प्रपत्र मतदान की
सुबह अनिवार्य रूप से बनना है, वह किसी सूची में नहीं है। सामग्री मिलाते समय इसे स्वयं जोड़वाँ।

04

परिणाम खण्ड की सीलिंग

पिंक पेपर सील · ABCD स्ट्रिप सील · एड्रेस टैग

पिंक पेपर सील की फिक्सिंग

परिणाम खण्ड के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को पिंक पेपर सील द्वारा सील करना



पिंक पेपर सील की फिक्सिंग

- **पहले हस्ताक्षर, फिर चिपकाना** — पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी पहले अपने हस्ताक्षर करेगा और उपस्थित इच्छुक अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएगा
- **क्रम संख्या नोट करें** — पेपर सील का क्रमांक प्ररूप 14-ग के पेपर सील लेखे तथा डायरी की मद 6 में जाएगा
- **CU स्विच ऑफ हो** — सील करने से पहले कंट्रोल यूनिट की पावर बंद होनी चाहिए

मूल चित्र — परिणाम खण्ड के आन्तरिक कम्पार्टमेंट को पिंक पेपर सील द्वारा सील करना।

आंतरिक कम्पार्टमेंट पर पिंक पेपर सील

परिणाम खण्ड के आन्तरिक कम्पार्टमेंट को पिंक पेपर सील द्वारा सील करना



मूल चित्र — सील लगी हुई अवस्था। कक्षा में यही अवस्था बनाकर दिखाएँ, फिर दल से करवाएँ।

यह वही खण्ड है जिसमें **RESULT-I, RESULT-II और CLEAR** हैं सील लगाने के बाद ये तीनों बटन दिनभर पहुँच से बाहर रहेंगे। यदि सील लगाने से पहले CLEAR नहीं किया गया, तो मॉक मत मशीन में ही रह जाएँगे और उन्हें अब हटाया नहीं जा सकेगा।

RESULT SECTION का बाहरी आवरण बंद करना

- 1 बाहरी ढक्कन दबाकर बंद करें**
RESULT SECTION के बाहरी ढक्कन को दबाकर बंद करें
- 2 धागा निकालें**
बाहरी आवरण की बाईं ओर दिए गए दो छिद्रों के माध्यम से धागा निकालें
- 3 एड्रेस टैग**
धागे में एड्रेस टैग पिरोएँ
- 4 मुहर**
पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ सील किया जाए

यहाँ का एड्रेस टैग और अंत का एड्रेस टैग अलग हैं

यह टैग परिणाम खण्ड पर, मतदान से पहले लगता है। मतदान समाप्ति पर वहन बक्सों पर लगने वाला एड्रेस टैग अलग है और उसकी विशिष्टियाँ आदेश 560 / सां.आ. 145-2026 में अलग से दी गई हैं (खण्ड 11 देखें)।

स्ट्रिप सील — A, B, C, D

स्ट्रिप सील

- प्रत्येक सील का विशिष्ट पहचान नम्बर होता है।
- स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर चार स्टीकर लगे हुऐ है, इनमें से **A B D** आन्तरिक परत पर तथा **C** स्टीकर बाहरी परत पर लगा होगा।

A	B	नीचे का भाग	D
	C	ऊपरी भाग	0076132

मूल चित्र — स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर चार स्टीकर: A, B, D आंतरिक परत पर तथा C बाहरी परत पर।

- **विशिष्ट पहचान** — प्रत्येक सील का विशिष्ट पहचान नम्बर होता है (चित्र में 0076132)
- **चार स्टीकर** — A, B, D आंतरिक परत पर तथा C बाहरी परत पर लगा होगा
- **ऊपरी और निचला भाग** — पिंग पेपर सील का निचला सिरा A से, ऊपरी सिरा C से चिपकेगा
- **क्रमांक दर्ज** — स्ट्रिप सील का क्रमांक डायरी की मद 6.3 में लिखा जाएगा

स्ट्रिप सील प्रयोग से पूर्व — हस्ताक्षर

- 1 सामग्री**
पिंक पेपर सील एवं ABCD हिस्सों को चिपकाने के लिए स्वयं चिपकने वाली ABCD लम्बी पेपर पट्टी सील का उपयोग करें
- 2 पहले हस्ताक्षर**
स्ट्रिप सील को प्रयोग में लेने से पूर्व सील की क्र.सं. के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करें
- 3 फिर अभिकर्ता**
उपस्थित इच्छुक उम्मीदवार / मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करवाएँ
- 4 इन्कार करें तो**
इन्कार करने वालों के नाम परिशिष्ट-6 में दर्ज करें — जबरदस्ती नहीं

हस्ताक्षर बाद में नहीं हो सकते

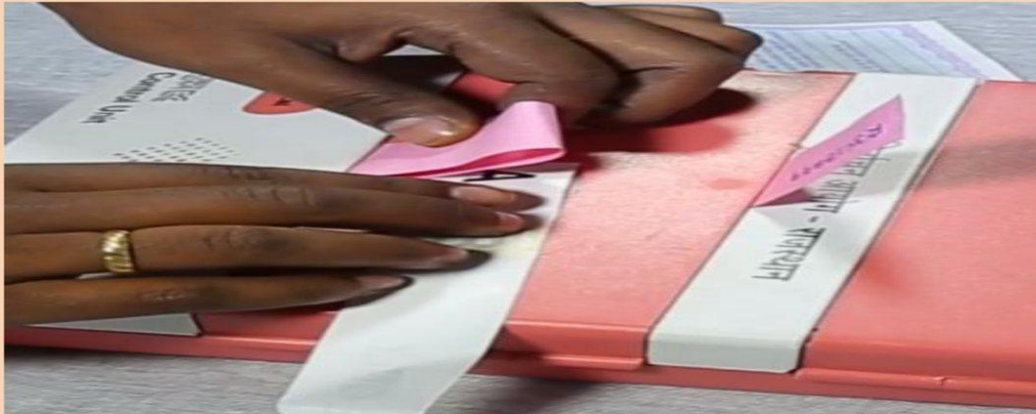
एक बार सील चिपक जाने पर उस पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं रहेगा। यह क्रम-दोष सबसे अधिक होता है — पहले हस्ताक्षर, तब चिपकाना।

पिंक पेपर सील की फोल्डिंग — स्टेप 1 (भाग A)

पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

स्टेप 1

- पिंक पेपर सील के निचले हिस्से के पास, स्ट्रिप सील के गोंद लगे हुए भाग A को रखें। A वाले भाग से वैक्स पेपर हटा कर, पिंक पेपर सील के निचले सिरे को मोड़कर इस गोंद लगे भाग पर चिपका दें।



स्टेप 1 — भाग A

- स्थिति** — पिंक पेपर सील के निचले हिस्से के पास, स्ट्रिप सील का गोंद लगा हुआ भाग A रखें
- वैक्स पेपर** — A वाले भाग से वैक्स पेपर हटाएँ
- चिपकाएँ** — पिंक पेपर सील के निचले सिरे को मोड़कर इस गोंद लगे भाग पर चिपका दें

फोल्डिंग — स्टेप 2 (भाग B)

पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

स्टेप 2:

अब स्ट्रिप सील के *B* के ऊपर के वैक्स पेपर को हटाकर इसे बांयी ओर मोड़ते हुए, मुड़ी हुई पिंक पेपर सील के ऊपर चिपकाएँ।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 2

स्टेप 2 — भाग B बाईं ओर मोड़कर

- **वैक्स हटाएँ** — स्ट्रिप सील के B के ऊपर के वैक्स पेपर को हटाएँ
- **बाईं ओर मोड़ें** — इसे बाईं ओर मोड़ते हुए, मुड़ी हुई पिंक पेपर सील के ऊपर चिपकाएँ

फोल्डिंग — स्टेप 3 (भाग C)

पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

स्टेप 3

अब स्ट्रिप सील का C भाग ऊपर की ओर आ जाएगा। C का वैक्स पेपर हटाकर, परिणाम खण्ड के बाहरी दरवाजे के ऊपर निकल रहे, पिंक पेपर सील के ऊपरी छोर को मोड़कर इस C भाग पर चिपका दें।



स्टेप 3 — भाग C ऊपर की ओर

- **C ऊपर आएगा** — अब स्ट्रिप सील का C भाग ऊपर की ओर आ जाएगा
- **वैक्स हटाकर चिपकाएँ** — C का वैक्स पेपर हटाकर, परिणाम खण्ड के बाहरी दरवाजे के ऊपर निकल रहे पिंक पेपर सील के ऊपरी छोर को मोड़कर इस C भाग पर चिपका दें

फोल्डिंग — स्टेप 4 (CU के चारों ओर)

पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

स्टेप 4

अब स्ट्रिप सील को कंट्रोल यूनिट पर बांयी ओर से, सावधानी पूर्वक, क्लोज बटन की ऊपरी प्लास्टिक/रबर कैप के नीचे से लेते हुए, स्ट्रिप सील के दूसरी सिरे को कंट्रोल यूनिट के दाहिनी ओर से घुमाकर ऊपर लाएँ।



स्टेप 4 — स्ट्रिप सील को CU के चारों ओर घुमाना

- **बाईं ओर से** — स्ट्रिप सील को कंट्रोल यूनिट पर बाईं ओर से सावधानीपूर्वक ले जाएँ
- **कैप के नीचे से** — Close बटन की ऊपरी प्लास्टिक/रबर कैप के नीचे से ले जाते हुए
- **दाहिनी ओर से ऊपर** — स्ट्रिप सील के दूसरे सिरे को कंट्रोल यूनिट के दाहिनी ओर से घुमाकर ऊपर लाएँ

Close बटन की कैप को सील के नीचे मत दबाइए

सील Close बटन की कैप के नीचे से गुजरती है, कैप के ऊपर से नहीं। यदि कैप सील से दब गई तो शाम को CLOSE दबाने के लिए सील तोड़नी पड़ेगी — जो अपने आप में गंभीर अनियमितता है।

फोल्डिंग — अंतिम चरण (भाग D)



- **D चिपकाएँ** — D का वैक्स पेपर हटाकर दोनों सिरों को आपस में जोड़ दें
- **जाँचें** — सील पूरी तरह चिपकी है, कहीं ढीली या हवा भरी नहीं
- **क्रमांक दर्ज** — स्ट्रिप सील का क्रमांक डायरी की मद 6.3 में लिखें

मूल स्लाइड — दो छायाचित्र: D भाग को चिपकाते हुए। मशीन गुलाबी है और उस पर 'राज्य निर्वाचन आयोग - राजस्थान' लिखा है — यही आपकी मशीन है।

सीलिंग की पाँच सबसे आम चूकें

चूक	परिणाम	बचाव
सील पर हस्ताक्षर बाद में करना	अब हस्ताक्षर संभव नहीं	चिपकाने से पहले PRO + अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर
CLEAR किए बिना सील	मॉक मत मशीन में रह गए	CLEAR → TOTAL = 0 दिखाकर तब सील
CU स्विच ऑन रहते सील	आदेश का उल्लंघन; डिस्प्ले पर संदेश अटक सकते हैं	पहले स्विच OFF, फिर सील
Close की कैप सील के नीचे दब जाना	शाम को सील तोड़नी पड़ेगी	सील कैप के नीचे से ले जाएँ
सील का क्रमांक कहीं दर्ज न करना	प्ररूप 14-ग का पेपर-सील लेखा और डायरी मद 6 अधूरे	क्रमांक तुरन्त डायरी में लिखें

यह स्लाइड क्यों जोड़ी गई

मूल डेक चरण तो देता है, पर 'क्या गलत हो सकता है' कहीं नहीं बताता। ये पाँचों चूकें अभिलेख में पकड़ी जाती हैं और मतदान के बाद सुधारी नहीं जा सकतीं।

05

आक्षेपित मत / चैलेन्ज वोट

नियम 43 · ₹2 नकद · परिशिष्ट-13 की रसीद · प्ररूप-13 की सूची

आक्षेपित मत — यह होता क्या है

आक्षेपित मत / चैलेन्ज वोट

मूल शीर्षक स्लाइड — 'आक्षेपित मत / चैलेन्ज वोट'।

- **क्या है** — मतदाता की पहचान पर आपत्ति — यह कि वह वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम नामावली में है
- **कब** — केवल उसी क्षण जब प्रथम मतदान अधिकारी प्रविष्टियाँ जोर से बोल रहा हो — बाद में नहीं
- **तीन कागज** — परिशिष्ट-13 (रसीद बुक) · प्ररूप-13 (चुनौती मतों की सूची) · परिशिष्ट-9 (थानाधिकारी को पत्र, यदि आवश्यक हो)

चुनौती कैसे शुरू होती है — मद 1 से 5

- 1 मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है; वह पहचान सुनिश्चित कर उसकी प्रविष्टियाँ जोर से बोलता है
- 2 उसी समय कोई भी मतदान अभिकर्ता, अभ्यर्थी स्वयं अथवा निर्वाचन अभिकर्ता मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है
- 3 मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा
- 4 पीठासीन अधिकारी चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक चुनौतीकर्ता चुनौती राशि नकद ₹2 जमा न कर दे
- 5 राशि नकद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी परिशिष्ट-13 में विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को रसीद देगा

मूल स्लाइड से अंतर

मूल मद 2 एवं 4 चुनौती को केवल 'मतदान अभिकर्ता' तक सीमित कर देते हैं। मार्गदर्शिका अ.2(1), PO-1 का कर्तव्य 7: 'पोलिंग एजेंट / उम्मीदवार / इलैक्शन एजेंट इसी स्टेज पर पहचान को चुनौती दे सकते हैं, बाद में नहीं।' यदि अभ्यर्थी स्वयं केन्द्र पर हो और चुनौती दे, तो इस स्लाइड के आधार पर पीठासीन अधिकारी उसे लौटा देगा — जो गलत है। ₹2 नकद तथा परिशिष्ट-13 की रसीद वाली दोनों बातें सही हैं, उन्हें न छेड़ें।

जाँच — मद 6 से 10

- 1 6 जिस व्यक्ति की पहचान को चुनौती दी गई है, उसे प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शास्ति के बारे में समझाएँ
- 2 7 निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि पूरी पढ़ें और उससे पूछें कि क्या वह वही मतदाता है
- 3 8 प्ररूप-13 (चुनौती मतों की सूची) में उस मतदाता का नाम व पता लिखें तथा उसके हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी लें
- 4 8-क यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे मत देने को अनुज्ञात नहीं करेंगे
- 5 9 पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जाँच करेगा
- 6 10 यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो चुनौती नहीं मानेंगे और ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे

यह स्लाइड सही है

मद 6 से 10 तक का यह क्रम नियम 43 और प्ररूप-13 दोनों से मेल खाता है। संक्षिप्त जाँच का अर्थ है — त्वरित, मौके पर, बिना कतार रोके।

निर्णय — मद 11 से 14 और ₹2 का क्या

मद	स्थिति	मतदान	₹2 का क्या
11	चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया सिद्ध कर देता है कि यह वह मतदाता नहीं है	—	मतदाता से खण्डन का साक्ष्य माँगें
12	मतदाता साक्ष्य देकर सिद्ध कर दे कि उसका दावा सही है	मत देने की अनुमति	यदि चुनौती तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं की गई → फीस जब्त; रसीद के प्रतिपर्ण पर 'जब्त' लिखें
13	मतदाता दावा सिद्ध न कर सका — चुनौती सिद्ध मानी जाएगी	अनुमति नहीं	चुनौती फीस वापस; प्रतिपर्ण पर प्राप्ति लेकर राशि लौटाएँ
14	वही मतदाता	मत देने से वर्जित	झूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपकर थानाधिकारी को पत्र (परिशिष्ट-9)

यह स्लाइड सही है — और यही शासी पाठ है

डेक की मद 12 और 13 नियम 43(5) से अक्षरशः मेल खाती हैं। दो वाक्यों में कक्षा को बोलिए — 'राशि तब जब्त होगी जब चुनौती तुच्छ या बदनीयती की निकले' और 'चुनौती सही निकले, यानी मतदाता अपना दावा सिद्ध न कर सके, तो राशि वापस होगी।' यह उल्टा लगता है, इसीलिए यहीं सबसे अधिक गलती होती है।

₹2 कब जब्त — दो पाठ, एक शासी नियम

स्रोत	क्या कहता है	स्थिति
नियम 43(5)	चुनौती तुच्छ हो या सद्भावपूर्वक न की गई हो → जब्त; अन्य किसी दशा में → वापस	विधि — यही शासी है
आयोग का यही डेक, PP2_p053 मद 12 व 13	वही — तुच्छ/असद्भाव पर जब्त; चुनौती सिद्ध हो जाए तो फीस वापस	आयोग की अपनी प्रशिक्षण सामग्री — नियम के साथ
मार्गदर्शिका अध्याय 6(2) पैरा 3	'चुनौती सही पाई गई → जब्त'	अकेला पड़ता पाठ — नियम व इस डेक दोनों से भिन्न

कक्षा में यही पढ़ाएँ

नियम 43(5) = इस डेक की मद 12 व 13। मार्गदर्शिका का वह बॉक्स नियम और आयोग की अपनी सामग्री दोनों से मेल नहीं खाता, और विवाद में नियम ही ऊपर है। यह 'मार्गदर्शिका गलत है' कहने की बात नहीं — यह कहने की बात है कि वह एक वाक्य अलग खड़ा है। DEO को केवल अभिलेख हेतु सूचित कर दें; प्रशिक्षण इस पर नहीं रुकेगा।

परिशिष्ट-13 — चैलेन्ज फीस रसीद बुक

पूरक

चैलेन्ज फीस, रसीद बुक प्ररूप

परिशिष्ट 13 (देखें भाग 6, पैरा 2.1) कार्यालय पीठासीन अधिकारी आपत्ति शुल्क (चैलेज फी) के लिये रसीद क्रम सं. पृष्ठ संख्या श्री *उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता से 2(दो) रुपये मात्र नकद राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि (डिपोजिट) के रूप में प्राप्त किये। हस्ताक्षर तारीख पीठासीन अधिकारी वार्ड संख्या नगरपालिका मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक *सरकार के पक्ष में धनराशि जब्त की जाती है। हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 (5) के अन्तर्गत 2 (दो) रुपये मात्रा वापस प्राप्त किये। नाम व हस्ताक्षर उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता	परिशिष्ट 13 (देखें भाग 6, पैरा 2.1) कार्यालय पीठासीन अधिकारी आपत्ति शुल्क (चैलेज फी) के लिये रसीद क्रम सं. पृष्ठ संख्या श्री *उम्मीदवार/ निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता से 2(दो) रुपये मात्र नकद राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि (डिपोजिट) के रूप में प्राप्त किये। हस्ताक्षर तारीख पीठासीन अधिकारी वार्ड संख्या नगरपालिका मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
---	--

मूल प्रपत्र — बाईं ओर प्रतिपण (कार्यालय प्रति), दाईं ओर चुनौतीकर्ता को दी जाने वाली रसीद।

- **क्या भरना है** — क्रम सं., पृष्ठ संख्या, चुनौतीकर्ता का नाम, ₹2 नकद प्राप्ति, तारीख, PRO के हस्ताक्षर
- **नीचे** — वार्ड संख्या, नगरपालिका, मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
- **जब्त पर** — प्रतिपण पर '*सरकार के पक्ष में धनराशि जब्त की जाती है' वाली पंक्ति के सामने 'जब्त' लिखें और हस्ताक्षर करें
- **वापसी पर** — प्रतिपण के निचले भाग में चुनौतीकर्ता से प्राप्ति के हस्ताक्षर लेकर ₹2 लौटाएँ
- **रसीद बुक कहाँ जाएगी** — लिफाफा E-14 (विविध कागजात) — यह लिफाफा सील नहीं किया जाता

एक बिन्दु जिस पर हमने कोई दावा नहीं किया

इस प्रपत्र पर 'राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43' छपा है, जबकि डेक का ही प्ररूप-13 (PP2_p093/p055) केवल 'नियम 43 एवं 78 देखिये' कहता है, बिना वर्ष के। कौन-सा नियम-संग्रह वर्तमान है, यह हमने स्वयं सत्यापित नहीं किया — इसलिए यहाँ कोई सुधार नहीं बताया जा रहा। नियम 43(5) की विषय-वस्तु पर कोई विवाद नहीं है। विहित प्रपत्र पर मतदान केन्द्र पर काट-छाँट कदापि न करें; प्रश्न RO/DEO को अभिलेख हेतु भेज दें।

प्ररूप-13 — चुनौती मतों की सूची

प्ररूप — 13
(नियम — 43 एवं 78 देखिये)
चुनौती मतों की सूची (Challenged Vote)

नगरपालिका
वार्ड संख्या के लिए निर्वाचन
मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम

क्र. सं.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक की क्रम संख्या व भाग संख्या	चुनौती दिये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगूठे की छाप	चुनौती दिये गये व्यक्ति का पता	पहचानने वाले का, यदि कोई नाम हो	चुनौती देने वाले का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	जमा की प्रतिदाय प्राप्त होने पर चुनौती लेने वाले के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

इत्यादि

तारीख पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मूल प्रपत्र — नौ स्तम्भ। यही प्रपत्र PP2_p093 पर दोबारा छपा है।

स्तम्भ	क्या भरें
2-3	निर्वाचक का नाम; उसकी क्रम संख्या व भाग संख्या
4-5	चुनौती दिए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगूठे की छाप; उसका पता
6-7	पहचानने वाले का नाम (यदि कोई हो); चुनौती देने वाले का नाम
8-9	पीठासीन अधिकारी का आदेश; जमा की प्रतिदाय प्राप्त होने पर चुनौती लेने वाले के हस्ताक्षर

स्तम्भ 4 भरे बिना मत देने की अनुमति नहीं

मद 8 का नियम यही है — यदि चुनौती दिया गया व्यक्ति हस्ताक्षर/अंगूठा देने से इन्कार करे तो उसे मत देने को अनुज्ञात न करें। यह गिनती प्ररूप 14-ग की मद 4 में जाएगी और डायरी की मद 13 में।

06

निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा

परिशिष्ट-10 · परिशिष्ट-11 · डायरी मद 17

आयु पर संदेह हो तो — पाँच कदम

- 1 · अधिकार**
प्रत्येक निर्वाचक जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, मतदान का अधिकारी है
- 2 · संदेह पर**
यदि उस निर्वाचक की आयु न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष से कम मानते हैं, तो 1 जनवरी 2026 के सन्दर्भ में परिशिष्ट-10 में घोषणा प्राप्त करें
- 2-क · पहले चेतावनी**
घोषणा लेने से पूर्व उसे मिथ्या घोषणा के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें
- 3 · सूची भाग-1**
जिन्होंने ऐसी घोषणाएँ की हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-11 के भाग-1 में
- 4 · सूची भाग-2**
जिन्होंने घोषणा करने से मना किया और मतदान किए बिना चले गए, उनकी सूची परिशिष्ट-11 के भाग-2 में
- 5 · लिफाफा**
मतदान समाप्ति के बाद ऐसी घोषणाएँ पृथक लिफाफे में रखी जाएँगी — लिफाफा E-14

यह स्लाइड सही उद्धरण देती है — इसे न बदलें

यहाँ 'राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009' लिखा है, जो सही है। ठीक अगली स्लाइड पर छपा परिशिष्ट-10 का प्रपत्र '1959' कहता है — वह विरोधाभास आयोग के विहित प्रपत्र का है, इस स्लाइड का नहीं।

परिशिष्ट-10 — आयु की घोषणा का प्ररूप

सुधार

परिशिष्ट — 10

[देखें भाग-6 का पैरा 3]

निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप

नगरपालिका का नाम

वार्ड संख्या

मतदान केन्द्र का संख्या व नाम

निर्वाचक द्वारा घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन् 20... की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख को जिसके प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

मुझे निर्वाचक नामावलियों में या निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी मिथ्या घोषणा के बारे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 15 के दण्डात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

तारीख पिता/पति का नाम
निर्वाचक नामावली का भाग
निर्वाचक की क्रम सं.

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए।

पीठासीन ऑफिसर के हस्ताक्षर

मूल प्रपत्र — दूसरे अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति पर अंगुली रखें: 'राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 15'।

करें

प्रशिक्षण में मौखिक रूप से बताएँ कि प्रभावी अधिनियम 2009 है

चेतावनी देते समय '2009 की धारा 15' बोलें (जैसा PP2_p057 कहती है)

आयोग को सुधार हेतु लिखें

न करें

मतदान केन्द्र पर विहित प्रपत्र पर काट-छाँट

अपना नया प्रपत्र छपवाना

प्रपत्र को अस्वीकार करना या घोषणा न लेना

मूल स्लाइड से अंतर

प्रपत्र पर 'राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 15' छपा है। 1959 का अधिनियम धारा 344(1) द्वारा निरसित हो चुका है; प्रभावी अधिनियम 2009 (अधि. 18/2009) है। राहत की बात — धारा-संख्या वही है: 2009 के अधिनियम की भी धारा 15 'मिथ्या घोषणा करना' है, और मार्गदर्शिका स्वयं अपने परिशिष्ट-2 में 2009 की धारा 15 उद्धृत करती है। अर्थात् केवल सन् '1959' गलत है, धारा 15 सही है — और यह डेक की नहीं, आयोग के विहित प्रपत्र की चूक है। इसीलिए यहाँ सुधार मौखिक है, प्रपत्र पर नहीं।

परिशिष्ट-11 — दो भाग, दो अलग गिनतियाँ

पूरक

परिशिष्ट — 11

[देखें भाग-6 का पैरा 3]

आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची

नगरपालिका के लिये निर्वाचन

वार्ड संख्या

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम

भाग-I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएँ प्राप्त की गई हैं।

क्र. सं.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित आयु
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				

भाग-II

उन मतदाताओं की सूची, जिन्होंने अपनी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएँ करने से इंकार कर दिया है।

क्र. सं.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित आयु
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				

दिनांक पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग	किसकी सूची	डायरी में कहाँ
भाग-I	जिन मतदाताओं से आयु के सम्बन्ध में घोषणाएँ प्राप्त की गईं	मद 17(क)
भाग-II	जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इंकार कर दिया	मद 17(ख)

गिनती मिलानी है

परिशिष्ट-11 के दोनों भागों में गिने जा सकने वाले नामों की संख्या डायरी की मद 17 के अंकों से ठीक-ठीक मिलनी चाहिए। नमूना-प्रपत्रों में यही मिलान बिगड़ा हुआ मिला है — अपने बूथ पर यह जोड़ स्वयं जाँचें। यह गिनती प्ररूप 14-ग की मद 4 से अपने आप जुड़ी हो, यह हमने सत्यापित नहीं किया — ऐसा कोई मिलान न सिखाएँ।

मूल प्रपत्र — ऊपर भाग-I (घोषणाएँ प्राप्त की गईं), नीचे भाग-II (घोषणा करने से इंकार)।

07

PB एवं EDC द्वारा मतदान

प्ररूप 15-क · प्ररूप 15 · प्ररूप 16 · चिन्हित प्रति पर PB / EDC

डाक मतपत्र (PB) से मतदान

- **कौन** — चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी अपना मतदान PB के माध्यम से कर सकते हैं
- **आवेदन** — इसके लिए उन्हें प्ररूप 15-क में आवेदन करना होगा, जिसे पूर्ण भरकर RO को प्रस्तुत करना होगा
- **जारी कौन करेगा** — RO द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी को डाक मतपत्र जारी किया जाएगा
- **चिह्नित प्रति पर** — ऐसे कर्मचारियों के नाम के आगे उनके मतदान केन्द्र की वोटर लिस्ट में लाल पैन से 'PB' अंकित किया जाएगा
- **परिणाम** — ऐसे कर्मचारी वहाँ वोट नहीं डाल पाएँगे जहाँ उनका नाम पंजीकृत है
- **PRO का काम** — 'PB' अंकित प्रविष्टि आने पर उस निर्वाचक को मतदान न कराएँ — यह पहले से लगा हुआ चिन्ह है, आप इसे लगाते नहीं हैं

यह जोड़ लें — 16-क का अनुप्रमाणन

डाक मतपत्र के साथ की घोषणा (प्ररूप 16-क) पर हस्ताक्षर किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में होंगे जिसमें वह मतदाता निर्वाचन कर्तव्यरूढ़ है, और वही अनुप्रमाणन करेगा। अनुप्रमाणक को मतपत्र न दिखाया जाए, न बताया जाए कि किसके पक्ष में मत दिया गया — यह मतदान दिवस पर PRO का प्रत्यक्ष कर्तव्य है। (आदेश 1451)

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (EDC) — किसे और कहाँ के लिए

- **कौन** — चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी अपना मतदान EDC अथवा PB के माध्यम से कर सकते हैं
- **आवेदन** — EDC के लिए प्ररूप 15 में आवेदन, जिसे पूर्ण भरकर RO को प्रस्तुत करना होगा
- **किसके लिए जारी** — RO उसी निर्वाचन के लिए EDC जारी करेगा जिसमें कार्मिक निर्वाचक है — अर्थात् उसी नगरपालिका के उसी वार्ड के लिए, जहाँ उसकी ड्यूटी लगी है
- **कहाँ मत देगा** — EDC धारक अपना मत वहीं देगा जहाँ उसकी ड्यूटी लगी है, न कि वहाँ जहाँ उसका नाम पंजीकृत है
- **चिह्नित प्रति पर** — ऐसे कर्मचारियों के नाम के आगे उनके मतदान केन्द्र की वोटर लिस्ट में लाल पैन से 'EDC' अंकित किया जाएगा

मूल स्लाइड से अंतर

मूल पंक्ति: 'RO द्वारा EDC उसी लोकसभा में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी को जारी किया जायेगा।' — नगरपालिका चुनाव में 'लोकसभा' नाम की कोई इकाई है ही नहीं; निर्वाचन क्षेत्र वार्ड है (आदेश 2184 19(iii): 'प्रत्येक वार्ड एक निर्वाचन क्षेत्र है')। डेक का अपना प्ररूप-15 (PP2_p098) और प्ररूप-16 (PP2_p100) आद्योपांत वार्ड-आधारित हैं — 'रिटर्निंग अधिकारी, वार्ड संख्या ...', 'मैं ऊपर वर्णित वार्ड के लिये होने वाले निर्वाचन में ...'। यह वाक्य संसदीय चुनाव के डेक से ज्यों का त्यों उठा है। पूरे डेक में 'लोकसभा / विधानसभा / एसेम्बली' शब्द खोजकर हटवाएँ।

आवेदन करना और EDC जारी होना — एक बात नहीं

- **मूल पंक्ति** — 'ऐसे कर्मचारी जिन्होंने प्ररूप 15 में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है वहाँ वोट नहीं डाल पायेंगे जहाँ उनका नाम पंजीकृत है'
- **वास्तव में** — अपने केन्द्र पर मत देने का अधिकार तब समाप्त होता है जब EDC जारी हो जाए और चिह्नित प्रति में 'EDC' अंकित हो जाए — केवल आवेदन कर देने से नहीं
- **PRO के लिए व्यावहारिक नियम** — चिह्नित प्रति में जो लिखा है, वही मानें — 'PB' या 'EDC' का चिन्ह न हो तो निर्वाचक सामान्य मतदाता है
- **क्यों** — जिसने आवेदन किया पर प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुआ, उसके पास कहीं और मत देने का साधन भी नहीं है — उसे लौटाने पर वह पूरी तरह मताधिकार से वंचित हो जाएगा

यह क्यों जोड़ा गया

मूल पंक्ति निरपेक्ष रूप में लिखी है। डेक की अपनी पूर्ववर्ती पंक्तियाँ ही सही क्रम देती हैं — आवेदन, फिर RO द्वारा जारी, फिर लाल पैन से अंकन। मतदान दल केवल तीसरे चरण के परिणाम पर कार्य करता है।

EDC धारक मतदान केन्द्र पर आए तो — चार काम

- 1 EDC प्रस्तुत करने वाले के हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी EDC पर अभिप्राप्त करेगा
- 2 EDC में अंकित निर्वाचक का नाम व भाग संख्या, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अंत में अंकित करेगा
- 3 तत्पश्चात् उस मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाताओं की तरह मत अंकित करने के लिए अनुज्ञात करेगा
- 4 पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेंटों को EDC द्वारा मतदान की प्रक्रिया बताएगा और यह भी बताएगा कि उस बूथ के लिए कितने EDC जारी किए गए हैं
- 5 द्वितीय मतदान अधिकारी प्ररूप 14-क के द्वितीय कॉलम में उनका क्रमांक, भाग संख्या तथा नगरपालिका का नाम व वार्ड संख्या लिखेगा

मूल स्लाइड से अंतर

मूल अंतिम बिन्दु में दो दोष हैं: (1) '1 क रजिस्टर' नाम का कोई रजिस्टर मतदान सामग्री में है ही नहीं — मतदाताओं का रजिस्टर प्ररूप 14-क है, जैसा यही डेक PP2_p073 और PP2_p074 पर स्वयं कहता है; (2) 'एसेम्बली क्षेत्र का नाम' — नगरपालिका निर्वाचन में विधानसभा क्षेत्र जैसी कोई इकाई नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र वार्ड है। यह PP2_p061 की 'लोकसभा' वाली चूक का ही जुड़वाँ है — पूरा EDC खण्ड संसदीय/विधानसभा सामग्री से बिना संपादन के आया है।

प्ररूप-15 — निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

(नियम 46 देखिए)

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

नगरपालिका वार्ड नं. के लिये निर्वाचन

मेरिति,
रिटर्निंग अधिकारी,
वार्ड संख्या

महोदय,

मैं ऊपर वर्णित वार्ड के लिये होने वाले निर्वाचन में अपना मत व्यक्तिशः देना चाहता हूँ। मेरा नाम ऊपरवर्णित वार्ड की नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

मैं वार्ड संख्यांक के मतदान केन्द्र संख्यांक मतदान केन्द्र का नाम पर निर्वाचन ड्यूटी पर पदस्थापित किया गया है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्ररूप-16 में एक निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र उस मतदान केन्द्र से जहाँ मतदान के दिन ड्यूटी पर रहूँगा, मत देने के लिए दिया जाये। यह प्रमाण-पत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये—

पता

उपरी

भवदीय

()

- **किसे सम्बोधित** — रिटर्निंग अधिकारी, वार्ड संख्या ...
- **क्या लिखना है** — 'मैं ऊपर वर्णित वार्ड के लिये होने वाले निर्वाचन में अपना मत व्यक्तिशः देना चाहता हूँ' — भाग संख्या व क्रम संख्यांक सहित
- **ड्यूटी का विवरण** — किस वार्ड के किस मतदान केन्द्र पर निर्वाचन ड्यूटी पर पदस्थापित किया गया है
- **क्या माँगा जा रहा है** — प्ररूप-16 में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र, उसी मतदान केन्द्र से जहाँ ड्यूटी पर रहेगा

यह प्रपत्र स्वयं वार्ड-आधारित है

आवेदन, प्रमाण-पत्र और मतदान — तीनों वार्ड की भाषा में हैं। PP2_p061 की 'लोकसभा' वाली पंक्ति को यही प्रपत्र काट देता है। कक्षा में दोनों पृष्ठ साथ दिखाएँ।

मूल प्रपत्र — यही प्रपत्र PP2_p098 पर स्पष्ट रूप में दोबारा छपा है; कक्षा में वही पृष्ठ दिखाएँ।

08

दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान

प्राथमिकता · साथी · ब्रेल · परिशिष्ट-12 एवं प्ररूप-12

प्राथमिकता एवं पहुँच

- **व्यवस्था** — दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शिथिलांगता वाले व्यक्तियों को मतदान केन्द्र पर लाने की व्यवस्था आयोग द्वारा की गई है
- **प्राथमिकता** — पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता को प्राथमिकता के आधार पर मतदान का अवसर प्रदान करे
- **व्हील चेयर** — व्हील चेयर मतदान केन्द्र परिसर के अन्दर तक ले जा सकेंगे
- **कतार** — प्राथमिकता का अर्थ है कतार में लगे बिना — यह अभिकर्ताओं को पहले ही बता दें ताकि विवाद न हो

यह जोड़ लें

वृद्ध एवं गर्भवती मतदाताओं के लिए भी यही व्यावहारिक शिष्टाचार अपनाया जाता है, यद्यपि प्राथमिकता का वैधानिक उल्लेख दिव्यांग निर्वाचकों के सन्दर्भ में है।

साथी और ब्रेल — दो अलग सुविधाएँ

- **साथी कब** — यदि आप सुनिश्चित हो जाएँ कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शिथिलांगता के कारण निर्वाचक प्रतीक चिन्हों को पहचानने या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है
- **साथी की आयु** — ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष से अन्यून साथी को मतदान कक्ष में साथ ले जाने की अनुज्ञा दें
- **ब्रेल डमी शीट** — दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास डमी बैलेट शीट रखी जाएगी
- **ब्रेल से क्या पता चलेगा** — अभ्यर्थी का क्रमांक, नाम तथा सम्बन्धित राजनैतिक दल
- **BU पर ब्रेल** — बैलेट यूनिट पर नीले बटन के सामने लगे ब्रेल लिपि के उभरे चिन्हों से अभ्यर्थी का क्रमांक समझकर मतदान कर सकेगा
- **दोनों साथ भी** — ब्रेल पढ़ने वाला मतदाता भी चाहे तो साथी ले जा सकता है

निरक्षरता साथी का आधार नहीं है

साथी की अनुमति केवल दृष्टिहीनता या शारीरिक शिथिलांगता पर है। केवल पढ़ना-लिखना न जानने के आधार पर साथी नहीं दिया जा सकता।

साथी की शर्तें और अभिलेख

- 1 एक दिन, एक बार**
किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी भी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा
- 2 घोषणा पहले**
साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उससे परिशिष्ट-12 में घोषणा प्राप्त की जाएगी
- 3 स्याही**
साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही भी लगाई जाएगी
- 4 रिकॉर्ड**
ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड प्ररूप-12 में रखा जाएगा
- 5 डायरी**
गिनती डायरी की मद 15 (सहयोगियों की सहायता से मतदान करने वाले) तथा मद 19 (दृष्टिहीन मतदाता) में जाएगी
- 6 लिफाफा**
परिशिष्ट-12 की घोषणाएँ तथा प्ररूप-12 की सूची — दोनों लिफाफा E-14 में

साथी की स्याही दाहिनी तर्जनी पर है — मतदाता की बाईं पर

यह अंतर ध्यान से पढ़ाएँ। साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्याही इसीलिए है ताकि वह किसी दूसरे निर्वाचक का साथी बनकर दोबारा न आ सके, और उसका अपना मत (बाईं तर्जनी) अलग पहचाना जा सके।

परिशिष्ट-12 — साथी द्वारा घोषणा

परिशिष्ट 12

(भाग 7 पैरा 1)

असांविधिक प्ररूप

दृष्टिहीन या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

[नगरपालिका वार्ड संख्या]

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम

मैं, ... का पुत्र/पुत्री श्री
आयु वर्ष का निवासी
..... (स्थान)*

यह घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मैंने आज (तारीख) को किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं श्री भाग संख्या क्रम संख्या की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा।

साथी के हस्ताक्षर

- **घोषणा (क)** — 'मैंने आज किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है'
- **घोषणा (ख)** — 'मैं श्री ... भाग संख्या ... क्रम संख्या ... की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा'
- **भरने से पहले** — साथी की आयु का खाना भरना है — 18 वर्ष से कम हो तो अनुमति नहीं
- **हस्ताक्षर** — साथी के हस्ताक्षर घोषणा पर लिए जाएँगे; तभी स्याही लगाकर मतदान कक्ष में भेजें

मूल प्रपत्र — यही परिशिष्ट-12 PP2_p111 पर दोबारा छपा है।

09

निविदत्त मतपत्र (Tendered Vote)

नियम 44-क · प्ररूप 14-ख · 20 मतपत्र · लिफाफे E-4, E-5, E-6

निविदत्त मत कब — और पहले चार चरण

- 1 · कब**
यदि कोई निर्वाचक मत देने आए और उससे पहले कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में मत दे चुका हो, तो उसकी पहचान के बारे में समाधान होने पर उसे निविदत्त मत देने की अनुमति दी जाएगी
- 2 · मतपत्र**
निविदत्त मतपत्र छपा हुआ वैसा ही मतपत्र होगा जैसा मतदान यूनिट पर लगा हुआ मतपत्र है
- 3 · पृष्ठांकन**
ऐसे मतपत्र की पीठ पर 'निविदत्त मतपत्र' की मुहर लगाएँ; मुहर न हो तो पीठासीन अधिकारी हाथ से लिखकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा
- 4 · पहले सूची, फिर मतपत्र**
प्ररूप 14-ख (निविदत्त मतों की सूची) में निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिखकर उसके हस्ताक्षर/अंगूठा लेने के पश्चात् ही मतपत्र जारी करें

मूल स्लाइड से अंतर

दो सुधार: (1) मूल मद 3 केवल 'हाथ से निविदत्त मतपत्र लिखेगा' कहती है; मार्गदर्शिका अ.8(1) के अनुसार मुहर प्राथमिक है, हाथ से लिखना विकल्प है, और उस पर हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं। (2) मूल मद 4 क्रम नहीं बताती; मार्गदर्शिका का शब्द 'इसके पश्चात् ही' है — पहले 14-ख में प्रविष्टि व हस्ताक्षर, तब मतपत्र। यदि मतपत्र पहले दे दिया और 14-ख बाद में भरा, तो मतदाता हस्ताक्षर से मना कर सकता है और मतपत्र बेहिसाब हो जाएगा।

चरण 5 से 8 — सील, मत और लिफाफा

- 1 **5 · ऐरोक्रॉस सील**
निविदत्त मतपत्र देते समय स्याही लगी हुई ऐरोक्रॉस मार्क सील भी दी जाएगी
- 2 **6 · मत**
निर्वाचक मतदान कक्ष में जाकर उस अभ्यर्थी (अथवा नोटा) के प्रतीक पर ऐरोक्रॉस मार्क सील से मत अंकित करेगा
- 3 **7 · वापसी**
निर्वाचक निविदत्त मतपत्र मोड़कर मतदान कक्ष से बाहर आएगा तथा पीठासीन अधिकारी को सौंपेगा
- 4 **8 · लिफाफा**
निविदत्त मतपत्र, निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे (E-5) में रखकर सील किया जाएगा

वस्तु	लिफाफा	लेखा
अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र	E-4 (सीलबंद)	प्ररूप 14-ग मद 8(ग)
प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र	E-5 (सीलबंद)	प्ररूप 14-ग मद 8(ख)
निविदत्त मतों की सूची प्ररूप 14-ख	E-6 (सीलबंद)	प्ररूप 14-ग मद 7

यह जोड़ लें — 20 की संख्या और अमिट स्याही

मार्गदर्शिका अ.8(1): प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीस (20) निविदत्त मतपत्र दिए जाएँगे; कम पड़ें तो जोनल मजिस्ट्रेट को बताएँ। निविदत्त मतदाता को भी अमिट स्याही लगेगी — मूल स्लाइड में यह चरण कहीं नहीं है। प्रयुक्त + अप्रयुक्त का जोड़ ठीक प्राप्त संख्या के बराबर होना चाहिए, और क्रम संख्याएँ भी उतनी ही होनी चाहिए।

निविदत्त मत — पूरा क्रम एक पंक्ति में

- 1 फर्जी मत पहले पड़ चुका — निर्वाचक की पहचान से समाधान करें
- 2 अमिट स्याही लगाएँ
- 3 प्ररूप 14-ख में प्रविष्टि + हस्ताक्षर/अंगूठा — तभी आगे बढ़ें
- 4 मतपत्र जारी करें; पीठ पर 'निविदत्त मतपत्र' की मुहर (या हाथ से लिखकर हस्ताक्षर)
- 5 ऐरोक्रॉस मार्क सील दें; निर्वाचक मतदान कक्ष में मत अंकित करेगा
- 6 मुड़ा हुआ मतपत्र PRO को; लिफाफा E-5 में; मतदान समाप्ति पर सील
- 7 प्ररूप 14-ग की मद 7 व 8 में लेखा; डायरी की मद 16 में गिनती

यह स्लाइड क्यों जोड़ी गई

निविदत्त मत विरले ही आते हैं — इसीलिए जब आते हैं, दल पूरी तरह इसी स्लाइड के भरोसे होता है। मूल डेक में अमिट स्याही, 20 की संख्या और तीनों लिफाफे कहीं नहीं हैं, और क्रम का नियम स्पष्ट नहीं है।

10

गोपनीयता भंग एवं मत न देने का विनिश्चय

नियम 37-क · नियम 45-क · प्ररूप 14-क का अभ्युक्ति स्तम्भ · प्ररूप 14-ग

इस खण्ड में दो अलग स्थितियाँ हैं — मिलाएँ नहीं

सुधार

स्थिति	किसने तय किया	नियम	14-ग की मद
मतदाता ने विहित प्रक्रिया/गोपनीयता का पालन करने से मना किया	पीठासीन अधिकारी ने मत देने नहीं दिया	नियम 37-क	मद 4
मतदाता ने हस्ताक्षर कर दिए, फिर स्वयं मत न देने का निश्चय किया	मतदाता ने स्वयं तय किया	नियम 45-क	मद 3
स्याही या हस्ताक्षर से इन्कार	पीठासीन अधिकारी ने मत देने नहीं दिया	नियम 35-क	मद 4

मूल स्लाइड से अंतर

इस शीर्षक स्लाइड पर 'निर्वाचन विभाग, राजस्थान' छपा है। नगरपालिका आम चुनाव संविधान के अनुच्छेद 243-ZA के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान कराता है; निर्वाचन विभाग विधानसभा एवं संसदीय चुनाव देखता है। डेक की अपनी शीर्षक स्लाइड PP2_p049 पर सही रूप से 'राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर' छपा है। मतदान दल जिन निर्देशों को आयोग के अपने निर्देश मानकर पढ़ता है, उन पर जारीकर्ता का नाम गलत नहीं होना चाहिए।

निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग करना

- 1 **1 · चेतावनी**
प्रत्येक मतदाता को अपने मत की गोपनीयता बनाये रखनी चाहिए; चेतावनी के बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से मना करे तो उसे नियम 37-क के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाए
- 2 **2 · पर्ची वापस**
ऐसे मतदाता को यदि मतदाता पर्ची जारी कर दी हो तो उसे वापस ले लें
- 3 **3 · अभ्युक्ति**
मतदाता रजिस्टर प्ररूप 14-क के अभ्युक्ति के स्तम्भ में टिप्पणी लिखकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करें
- 4 **4 · क्रम न बदलें**
ऐसे प्रकरणों में उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन न करें
- 5 **5 · लेखा**
प्ररूप 14-ग में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी — मद 4 में

मूल स्लाइड से अंतर

मूल मद 1 में 'नियम 35' लिखा है। नियम 35 ईवीएम-मतदान पर लागू ही नहीं है — नियम 55(5) ईवीएम-मतदान पर लागू नियम गिनाता है और उस सूची में 35-क है, सादा 35 नहीं। नियम 35-क स्याही या हस्ताक्षर से इन्कार का है; विहित प्रक्रिया/गोपनीयता भंग का नियम 37-क है, और इस स्लाइड का शीर्षक स्वयं 'गोपनीयता भंग करना' है। ईमानदारी से: समीक्षा में उप-नियम '37-क(7)' बताया गया था; हमने नियम 37-क की पुष्टि की है, उप-नियम (7) की नहीं — इसलिए डेक में केवल 'नियम 37-क' लिखवाएँ, उप-नियम तभी जोड़ें जब नियम-पुस्तिका से मिला लिया जाए। शेष पाँचों बिन्दु सही हैं।

निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय (नियम 45-क)

- 1 • स्थिति**
यदि कोई निर्वाचक प्ररूप 14-क में अपनी नामावली संख्या की सम्पूर्ण प्रविष्टि करने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करने के पश्चात् अपना मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करता है, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता
- 1-क • पहले प्रेरित करें**
मार्गदर्शिका का निर्देश — ऐसे मतदाता को पहले नोटा में मत डालने हेतु प्रेरित करें; तभी भी न डाले तो आगे बढ़ें
- 2 • अभ्युक्ति**
रजिस्टर में उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति के स्तम्भ में टिप्पणी की जाएगी — 'मत देने से मना किया'
- 3 • हस्ताक्षर**
निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त किया जाए
- 4 • क्रम न बदलें**
रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिवर्तन न किया जाए
- 5 • लेखा**
प्ररूप 14-ग मतपत्र लेखा में भी इसका इन्द्राज किया जाएगा — मद 3 में

यह जोड़ लें — नोटा और END बटन

MPSV का END (16वाँ) बटन मास्क रहेगा, अतः 'मत न देना' मशीन पर दर्ज नहीं होता। इसीलिए मार्गदर्शिका पहले नोटा में मत डालने हेतु प्रेरित करने को कहती है — नोटा भी एक अभिलिखित मत है, जबकि 'No Vote' केवल रजिस्टर में रह जाता है। यह गिनती प्ररूप 14-ग की मद 3 पर जाएगी, मद 4 पर नहीं।

मद 3 बनाम मद 4 — यही मिलान RO के यहाँ जाँचा जाएगा

मद	किसकी गिनती	पहचान का प्रश्न
मद 2	प्ररूप 14-क में दर्ज कुल मतदाता	कितनों ने रजिस्टर में हस्ताक्षर किए
मद 3 (नियम 45-क)	जिन्होंने स्वयं मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय किया	मतदाता ने स्वयं तय किया
मद 4 (नियम 35-क / 37-क)	जिन्हें मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया	पीठासीन अधिकारी ने मना किया
मद 5	मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड मत	मद 2 – मद 3 – मद 4 = मद 5 होना चाहिए

प्ररूप में दोनों मदों का विवरण एक जैसा छपा है — यही खतरा है

प्ररूप 14-ग की मद 3 और मद 4 दोनों में 'मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या' लिखा है, अतः लेबल से भेद नहीं होता। उसी पृष्ठ की मद 6 सही भाषा देती है — 'मद 3 के सामने दर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या'। भेद यही है: मद 3 = मतदाता ने स्वयं तय किया · मद 4 = आपने मना किया। भेद न रखने पर मद 5 का मिलान बिगड़ेगा, और न मिलने वाला 14-ग पुनर्मतदान की माँग का सामान्य कारण है।

11

मतदान समाप्ति के बाद की प्रक्रिया

CLOSE · प्ररूप 14-ग · घोषणाएँ · सीलिंग · लिफाफे E-1 से E-14

सायं 6 बजे कतार में खड़े मतदाता

- **सिद्धान्त** — मतदान बंद होने के समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदाताओं में सभी को मत देने दिया जाएगा
- **कैसे** — पीठासीन अधिकारी उन्हें पर्चियाँ देगा, जो कतार के पीछे के छोर से प्रारम्भ करते हुए देगा
- **क्यों पीछे से** — ताकि पर्ची बँटने के बाद कोई नया व्यक्ति कतार में न जुड़ सके
- **गिनती दर्ज** — दी गई पर्चियों की संख्या डायरी की मद 22 में लिखनी है — 'मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय पर दी गई पर्चियों की संख्या'
- **अभिकर्ताओं के सामने** — पर्ची वितरण अभिकर्ताओं के सामने हो; यही उस समय का सबसे विवादित क्षण होता है

मतदान का समय

इस चुनाव में मतदान प्रातः 7:00 से सायं 6:00 तक है। 6 बजे कतार में खड़ा प्रत्येक व्यक्ति मत देगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे।

मतों का लेखा (प्ररूप 14-ग) और अभिकर्ताओं की प्रति

- **कब** — मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा विहित प्ररूप 14-ग में पीठासीन अधिकारी बनाएगा
- **मिलान** — मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 14-क) और चिह्नित मतदाता सूची से भी इसका मिलान किया जाएगा
- **प्रति** — उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतों के लेखे की एक-एक सत्यापित प्रति दी जाएगी
- **इन्कार करे तो** — यदि कोई अभिकर्ता प्रति लेने से इन्कार करता है तो पीठासीन अधिकारी अपनी घोषणा में अंकन करेगा

प्रति देना वैकल्पिक नहीं है

14-ग की प्रति पाना अभिकर्ता का अधिकार है और वही उसका मतगणना-दिवस का आधार है। इन्कार का अंकन परिशिष्ट-6 भाग-3 में करें। यही स्लाइड PP2_p086 पर दोबारा आती है — वहाँ केवल दोहराएँ, नया कुछ नहीं।

मतदान समाप्ति — CLOSE दबाना

- 1 · अंतिम मतदाता**
मतदान केन्द्र पर अंतिम मतदाता के मतदान करने के बाद ही आगे बढ़ें
- 2 · कैप हटाएँ**
MPSV/MPMV में — CLOSE बटन की प्लास्टिक/रबर कैप हटाएँ
- 3 · CLOSE दबाएँ**
CLOSE बटन दबाएँ; डिस्प्ले पर POLL CLOSED आने तक प्रतीक्षा करें
- 4 · कैप वापस लगाएँ**
कैप तुरन्त वापस लगाएँ — कैप खुली छोड़ना घोर चूक है
- 5 · अन्य मॉडल**
M3A/MK-V में — काले रंग की रबड़ की सील हटाकर, छिद्र में अंगुली की सहायता से काले रंग का क्लोज बटन दबाएँ

मूल स्लाइड से अंतर

मूल पंक्ति केवल एक मशीन की भाषा में है — 'नियन्त्रण यूनिट पर लगी काले रंग की रबड़ की सील को हटा कर छिद्र में अंगुली की सहायता से काले रंग का क्लोज बटन दबायें।' MPSV/MPMV पर ऐसी काली रबड़ की सील होती ही नहीं; वहाँ कैप हटाकर CLOSE दबाया जाता है और कैप वापस लगाई जाती है (आदेश 560 / सां.आ. 145-2026, बिन्दु 1)। स्लाइड के चित्र भी भारत निर्वाचन आयोग की मशीन के हैं। MPSV वाला पीठासीन अधिकारी सायं 6 बजे, अभिकर्ताओं के सामने, एक ऐसी काली रबड़ की सील ढूँढ़ेगा जो उसकी मशीन पर है ही नहीं।

CLOSE दबाने पर क्या दिखेगा

कंट्रोल यूनिट

- क्लोज बटन दबाने पर निम्न सूचना डिस्प्ले होगी



मूल स्लाइड — CLOSE के बाद के छह पर्दे। कक्षा में क्रम से गिनवाएँ।

- क्रम** — CLOSING → NUMBER OF POSTS → दिनांक/समय → TOTAL VOTERS → मशीन क्रमांक → POLL CLOSED
- नोट करें** — TOTAL VOTERS का अंक तुरन्त लिख लें — यही प्ररूप 14-ग की मद 5 में जाएगा
- अभिकर्ताओं को दिखाएँ** — यह अंक उपस्थित अभिकर्ताओं को स्वयं दिखाएँ
- POLL CLOSED के बाद** — कोई और मत रिकॉर्ड नहीं होगा — इसीलिए CLOSE अंतिम मतदाता के बाद ही दबता है

TOTAL से मिलान

- **मिलान** — TOTAL का बटन दबाकर पुनः कुल डाले गए मतों की संख्या का मिलान कर लें
- **दिखाएँ** — उपस्थित अभिकर्ताओं को भी वह संख्या दिखा दें
- **रजिस्टर से** — इस संख्या का मिलान प्ररूप 14-क में अंकित संख्या से कर लें
- **दिन में भी** — मतदान की प्रक्रिया के दौरान भी किसी भी समय TOTAL दबाकर उस समय तक डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात की जा सकती है
- **शर्त** — TOTAL केवल तब दबाएँ जब Busy बत्ती बंद हो — किसी मत के बीच में नहीं

मिलान न बैठे तो

14-क के हस्ताक्षर, मद 3 (नियम 45-क) और मद 4 (नियम 35-क/37-क) घटाने पर ही मशीन का अंक आएगा: $\text{मद 2} - \text{मद 3} - \text{मद 4} = \text{मद 5}$ । अंतर बचे तो पहले इन दो मदों की गिनती दोबारा जाँचें — मशीन का अंक ही आधार है, उसे कभी न बदलें।

स्विच ऑफ, केबल अलग, धागा और चपड़ी

- 1 कंट्रोल यूनिट के पिछले हिस्से का ढक्कन पुनः खोलें
- 2 स्विच को ऑफ पोजिशन पर ले आएं
- 3 लिंकिंग केबल का प्लग दोनों तरफ के लीवर दबाकर बाहर खींच लें
- 4 कंट्रोल यूनिट के पिछले ढक्कन को पुनः बंद कर दें
- 5 अब इसे धागा बाँधकर चपड़ी (लाख) से सील कर दें

मोमबत्ती की लौ मशीन से दूर रखें

चपड़ी पिघलाते समय लौ और पिघला मोम मशीन से दूर रखें। यह आदेश 560 का स्पष्ट निर्देश है और हर वर्ष चूक यहीं होती है।

वहन बक्से, एड्रेस टैग और जमा कराना

- 1 BU एवं CU को पृथक-पृथक कैरिंग बॉक्स में रखें
- 2 बक्सों के लिए बने छिद्रों में धागा डालकर मुद्राबंद करें
- 3 एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकर चपड़ी से मुद्राबंद करे
- 4 उपस्थित एवं इच्छुक अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी एड्रेस टैगों पर हस्ताक्षर की अनुमति दी जाए
- 5 मोहरबंद बक्सों को रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ जमा कराएँ

यह जोड़ लें — 'पृथकत: सुरक्षित' का अर्थ

नियम 47-क(2): पीठासीन अधिकारी CU व BU को ऐसी विधि से मुद्राबंद और पृथकत: सुरक्षित करेगा कि बिना मुद्रा तोड़े यूनिट खोलना संभव न हो। इसीलिए दोनों अलग-अलग बक्सों में जाते हैं — एक ही बक्से में रखना इस नियम का उल्लंघन है।

एड्रेस टैग पर ठीक-ठीक क्या लिखा जाएगा

कंट्रोल यूनिट के टैग पर	बैलट यूनिट के टैग पर
नगरपालिका का नाम	नगरपालिका का नाम
वार्ड सदस्य संख्या	निर्वाचन का विवरण / वार्ड संख्या
कंट्रोल यूनिट का पहचान नम्बर	बैलट यूनिट/यूनिट्स का पहचान नम्बर
मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक	मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक
मतदान की तारीख	मतदान की तारीख

यह स्लाइड क्यों जोड़ी गई

मूल डेक केवल 'एड्रेस टैग लगावें' कहता है — विशिष्टियाँ कहीं नहीं देता। अधूरा भरा एड्रेस टैग संग्रहण केन्द्र पर मशीन की पहचान असंभव कर देता है, और यही वह कागज है जिस पर अभ्यर्थी/अधिकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं (आदेश 560 बिन्दु 7; नियम 47-क(3) तीन वर्गों को अनुमति देता है — मतदान अधिकर्ता, निर्वाचन अधिकर्ता, अभ्यर्थी)।

मतदान समाप्ति पर की जाने वाली घोषणाएँ

- 1 — मतदान समाप्ति के समय तक उपस्थित सभी मतदाताओं से मतदान कराया जाएगा
- 2 — मतदान पूर्ण होने पर मतदान समाप्ति की घोषणा मतदान अभिकर्ताओं के सम्मुख की जाएगी
- 3 — घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के साथ-साथ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी लिए जाएँगे
- 4 — हस्ताक्षर से इन्कार करने वालों के नाम भी परिशिष्ट-6 में दर्ज करें — जबरदस्ती नहीं

परिशिष्ट-6 के तीन भाग

भाग-1: मतदान आरम्भ होने से पूर्व की घोषणा (मॉक पोल, चिह्नित प्रति, 14-क खाली, पेपर सील पर हस्ताक्षर)। भाग-2: बाद वाली मतदान मशीन के उपयोग के समय की घोषणा। भाग-3: मतदान के अन्त में मशीन को मोहरयुक्त करने के बाद की घोषणा।

मतदाता रजिस्टर (14-क) के अंत में प्रमाण पत्र

- **क्या लिखना है** — मतदान के अन्त में पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर में दर्ज अंतिम मतदाता की प्रविष्टि के नीचे प्रमाण पत्र अंकित करेगा कि कितने मतदाताओं ने वोट दिए हैं
- **हस्ताक्षर** — इस प्रमाण पत्र पर वह अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर कराएगा
- **यह अंक कहाँ जाएगा** — प्ररूप 14-ग की मद 2 तथा डायरी की मद 11.3 में
- **रेखा खींचें** — अंतिम प्रविष्टि के तुरन्त नीचे रेखा खींचकर प्रमाण पत्र लिखें, ताकि बाद में कोई प्रविष्टि न जोड़ी जा सके

मतदान मशीन को मुहरबंद करना — चार बिन्दु

- 1** मतदान समाप्ति के पश्चात् मशीन में रिकॉर्ड मतों का लेखा प्ररूप 14-ग में तैयार कर, उसकी प्रतियाँ उपस्थित अभिकर्ताओं को देने एवं परिशिष्ट-6 का भाग-3 भरने के पश्चात् मशीन को मुहरबंद किया जाना चाहिए
- 2** प्रत्येक कैरिंग बॉक्स के दोनों तरफ उपलब्ध दो छिद्रों में से एक में धागा डालकर, एड्रेस टैग पर उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियाँ दर्शाते हुए पीठासीन अधिकारी की मोहर सहित धागे को मुहरबंद करें
- 3** जो अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता उपस्थित हों और अपनी मोहर लगाने के इच्छुक हों, उन्हें मोहर लगाने के लिए अनुज्ञात किया जाए
- 4** ऐसे अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता का नाम मतदान समाप्ति की घोषणा के परिशिष्ट-6 के भाग-3 में लिखना चाहिए

क्रम याद रखें

14-ग बनाना → अभिकर्ताओं को प्रति देना → परिशिष्ट-6 भाग-3 भरना → तब मुहरबंदी। मशीन पहले सील कर देने पर 14-ग के अंक मशीन से दोबारा नहीं मिलाए जा सकेंगे।

मतों के लेखे की सत्यापित प्रति — दोहराव

- **यह स्लाइड** — PP2_p077 का ही दोहराव है — कक्षा में केवल दो वाक्य में दोहराएँ, समय न लगाएँ
- **एक बात जोड़ें** — प्रति पर 'सत्यापित प्रति' लिखकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा; बिना हस्ताक्षर की प्रति का कोई मूल्य नहीं
- **इन्कार का अंकन** — अभिकर्ता प्रति लेने से इन्कार करे तो उसका नाम परिशिष्ट-6 भाग-3 में दर्ज करें

सील किए जाने वाले लिफाफे — E-1 से E-8

लिफाफा	सामग्री
E-1	निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रति
E-2	मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14-क)
E-3	प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ
E-4	अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
E-5	प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
E-6	निविदत्त मतपत्रों की सूची (प्ररूप 14-ख)
E-7	अभ्याक्षेपित मतों की सूची (प्ररूप-13)
E-8	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र (प्ररूप-16)

आठों सील होंगे

इन आठों पर पीठासीन अधिकारी की मुहर लगेगी और उपस्थित इच्छुक अभ्यर्थी/अभिकर्ताओं को भी अपनी मुहर लगाने की अनुमति दी जाएगी (नियम 48-क)। खाली लिफाफा भी सील होगा — उस पर 'निरंक' लिखकर।

सील नहीं किए जाने वाले लिफाफे — E-9 से E-14

लिफाफा	सामग्री
E-9	मतपत्र लेखा और पेपर सील का लेखा (प्ररूप 14-ग)
E-10	पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएँ (परिशिष्ट-6) एवं मॉकपॉल प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-19)
E-11	पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-7)
E-12	सांख्यिक / आँकड़ों की सूचना
E-13	अप्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ
E-14	विविध कागजात का लिफाफा

E-14 में क्या-क्या जाता है — यह जोड़ लें

साथी की घोषणाएँ (परि-12) व उनकी सूची (प्ररूप-12) · अप्रयुक्त एड्रेस टैग व स्पेशल टैग · प्ररूप-9 (और प्राप्त प्ररूप-10) · नामावली की अन्य/कार्यकारी प्रतियाँ (चिन्हित प्रति छोड़कर) · आयु-घोषणाएँ व सूची (परि-10, 11) · चैलेन्ज फीस रसीद बुक (परि-13) · अप्रयुक्त/क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें · अन्य निर्वाचन कागजात।

बूथ कैप्चरिंग — नियम 55(6)

- 1 · तत्काल**
पीठासीन अधिकारी की राय में बूथ पर कब्जा हो रहा हो तो कंट्रोल यूनिट तत्काल बन्द (CLOSE) कर बैलट यूनिट को CU से पृथक कर देगा
- 2 · सीलिंग**
बन्द करने के बाद मशीन एवं कागज-पत्र वैसे ही मुहरबन्द करेगा जैसे मतदान बन्द होने पर करता
- 3 · रिपोर्ट**
रिपोर्ट तभी करे जब निश्चित हो — मात्र आशंका पर नहीं
- 4 · क्यों सतर्कता**
CLOSE दबाने के बाद मशीन आगे कोई मत रिकॉर्ड नहीं करेगी; नई मशीन मिलने तक मतदान स्थगित रहेगा
- 5 · अपराध**
बूथ कैप्चरिंग धारा 135-क का अपराध है; डायरी की मद 23(च) एवं 24(ख) में इन्द्राज होगा

यह स्लाइड क्यों जोड़ी गई

मूल डेक में बूथ कैप्चरिंग पर कोई स्लाइड नहीं है, जबकि पीठासीन अधिकारी की डायरी में इसके दो खाने हैं (मद 23(च) और मद 24(ख))। यह एकमात्र स्थिति है जिसमें CLOSE समय से पहले दबाया जाता है — और वह निर्णय वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए 'निश्चित होने पर ही' का नियम है।

डायरी की पाँच मदें जो सबसे अधिक गलत भरी जाती हैं

मद	विषय	सावधानी
12	मतदान करने वालों की संख्या — पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर/योग	चिह्नित प्रति में दिनभर टिक (महिला) व स्टार (थर्ड जेंडर) लगे हों, तभी यह भरा जा सकेगा
17	आयु-घोषणा वालों की संख्या — (क) घोषणा दी, (ख) इन्कार किया	परिशिष्ट-11 के भाग-1 व भाग-11 में गिने जा सकने वाले नामों से ठीक मिलना चाहिए
25	मशीन द्वारा मतदान निष्फल बनाया गया?	सामान्य मॉक पोल यहाँ कभी न लिखें — यह मशीन के अवैध रूप से बाहर ले जाने/खोने/विनिष्ट होने का खाना है
29	मतदान के बीच नई मशीन का उपयोग और घोषणाएँ	नई मशीन आई हो तो यह और परिशिष्ट-6 भाग-2 दोनों भरें
30	अन्य महत्वपूर्ण घटना — मॉकपॉल एवं परिशिष्ट-19 का विवरण	मॉक पोल का इन्द्राज यहीं होगा

हर जोड़ स्वयं जाँचें

आयोग की अपनी भरी हुई नमूना-डायरी में मद 12 और मद 18 के घटकों का जोड़ मशीन के अंक से नहीं मिलता। इसी आदत को कक्षा का अभ्यास बना लें — डायरी भरने से पहले हर जोड़ स्वयं जोड़कर देखें। गलत जोड़ वाली डायरी RO के यहाँ पकड़ी जाएगी।

12

प्रपत्र एवं परिशिष्ट

प्ररूप 9 से 16 · परिशिष्ट 6 से 13 · भरा हुआ नमूना (परिशिष्ट-8)

इस खण्ड के प्रपत्रों की सूची — एक नजर में

प्ररूप / परिशिष्ट	विषय	नियम
प्ररूप 9 · 10	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति · नियुक्ति का प्रतिसंहरण	26(3) · 26(5)
प्ररूप 12 · 13	दृष्टिहीन/शिथिलांग निर्वाचकों की सूची · चुनौती मतों की सूची	28(2)/38क(2) एवं 78 · 43 एवं 78
प्ररूप 14-क · 14-ख · 14-ग	मतदाताओं का रजिस्टर · निविदत्त मतों की सूची · रिकॉर्ड मतों का लेखा	35क · 44क · 49ग एवं 63क(2)
प्ररूप 15 · 15-क · 16	EDC हेतु आवेदन · डाक मतपत्र हेतु आवेदन · निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र	46 · 46क(4) एवं 78 · 46
परिशिष्ट 6 · 7 · 8	PRO की तीन घोषणाएँ · PRO की डायरी (30 मद) · 14-ग का भरा नमूना	—
परिशिष्ट 9 · 10 · 11 · 12 · 13	थानाधिकारी को पत्र · आयु-घोषणा · आयु-सूची · साथी की घोषणा · चैलेन्ज फीस रसीद	—

परिशिष्ट-19 इस सूची में नहीं है — और होना चाहिए

मॉकपॉल प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-19) न इस डेक की प्रपत्र-श्रृंखला में है, न प्रपत्र-पुस्तिका की अनुक्रमणिका में, न PP1 की 'PRO के प्रपत्र' सूची में — तीनों परिशिष्ट-15A पर समाप्त हो जाती हैं। सामग्री मिलाते समय इसे स्वयं जोड़वाएँ। उसका प्ररूप PP2_p038 पर है।

प्ररूप-9 — मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

प्ररूप — 9
{नियम — 26 (3) देखिये}
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका
वार्ड संख्या के लिए निर्वाचन

मैं, ... अभ्यर्थी/..... का
निर्वाचन अभिकर्ता, जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, श्री/श्रीमती
(नाम और पूर्ण पता) को मतदान के दिन मतदान केन्द्र मतदान केन्द्र सं. पर मतदान
अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए इसके द्वारा नियुक्त करता हूँ।

तारीख/...../..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

तारीख/...../..... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा
(पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाये)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में मतदान की गोपनीयता को बनाये रखूंगा और बनाये
रखने में सहायता करूंगा और किसी भी व्यक्ति को (किसी भी विधि के द्वारा/या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के
सिवाय) ऐसी कोई भी सूचना नहीं दूंगा, जो ऐसी गोपनीयता के गम की श्रेणी में आये।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख/...../..... पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र पर पेश करने के लिए मतदान अभिकर्ता को सौंपे जाने के लिए।

- **तीन हस्ताक्षर** — अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता का · अभिकर्ता की सहमति का · गोपनीयता की घोषणा पर अभिकर्ता का
- **PRO का काम** — गोपनीयता की घोषणा 'मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये' — यह पीठासीन अधिकारी के सामने ही होगी और वही अनुप्रमाणन करेगा
- **क्या जाँचें** — नगरपालिका, वार्ड संख्या, मतदान केन्द्र का नाम व संख्या — तीनों आपके ही केन्द्र के हों
- **कहाँ जाएगा** — लिफाफा E-14 (विविध कागजात)

अंतिम पंक्ति ध्यान से पढ़ें

प्रपत्र के नीचे लिखा है — 'मतदान केन्द्र पर पेश करने के लिए मतदान अभिकर्ता को सौंपे जाने के लिए।' अर्थात् यह कागज अभिकर्ता स्वयं लाएगा; बिना प्ररूप-9 के किसी को अभिकर्ता के रूप में न बैठाएँ।

मूल प्रपत्र — नियुक्ति, अभिकर्ता की सहमति, तथा नीचे गोपनीयता की घोषणा (पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित)।

प्ररूप-10 — मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

प्ररूप — 10
[नियम — 26(5) देखिये]
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

नगरपालिका

वार्ड संख्या के लिए निर्वाचन

प्रेषित:

पीठासीन अधिकारी,
मतदान केन्द्र सं.....
मतदान केन्द्र का नाम.....

महोदय

मैं..... उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी/उपर्युक्त निर्वाचन के अभ्यर्थी श्री/श्रीमती

.....का निर्वाचन अभिकर्ता श्री/श्रीमती मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का इसके द्वारा प्रतिसंहरण करता हूँ।

तारीख अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

- **किसे मिलेगा** — यह प्रपत्र सीधे पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित है — मतदान केन्द्र संख्या व नाम सहित
- **प्रभाव** — प्रतिसंहरण मिलते ही वह अभिकर्ता केन्द्र में नहीं रह सकता
- **सावधानी** — हस्ताक्षर उसी अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हों जिसने प्ररूप-9 पर नियुक्ति की थी
- **कहाँ जाएगा** — लिफाफा E-14 — प्राप्त प्ररूप-10 भी प्ररूप-9 के साथ ही रखा जाता है

मूल प्रपत्र — पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित; अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित।

मूल प्रपत्र — चार स्तम्भ ।

इसके साथ परिशिष्ट-12 भी

प्ररूप-12 सूची है; परिशिष्ट-12 प्रत्येक साथी की अलग घोषणा है। दोनों चाहिए और दोनों लिफाफा E-14 में जाएँगे। गिनती डायरी की मद 15 व 19 में।

प्ररूप-13 — चुनौती मतों की सूची (दोहराव)

प्ररूप — 13
(नियम — 43 एवं 78 देखिये)
चुनौती मतों की सूची (Challenged Vote)

नगरपालिका के लिए निर्वाचन
वार्ड संख्या मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम

क्र. सं.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक की क्रम संख्या व भाग संख्या	चुनौती दिये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगूठे की छाप	चुनौती दिये गये व्यक्ति का पता	पहचानने वाले का, यदि कोई नाम हो	चुनौती देने वाले का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	जमा की प्रतियाय प्राप्त होने पर चुनौती लेने वाले के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

इत्यादि

तारीख पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मूल प्रपत्र — यही PP2_p055 पर भी है।

- **स्तम्भ 4 अनिवार्य** — चुनौती दिए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगूठे की छाप — न दे तो मत देने की अनुमति नहीं
- **स्तम्भ 8** — पीठासीन अधिकारी का आदेश — संक्षेप में, पर स्पष्ट
- **स्तम्भ 9** — राशि लौटाने पर चुनौती लेने वाले के हस्ताक्षर
- **कहाँ जाएगा** — लिफाफा E-7 (अभ्याक्षेपित मतों की सूची) — सीलबंद

प्रपत्र का शीर्ष नियम-संदर्भ

यहाँ केवल 'नियम 43 एवं 78 देखिये' लिखा है, बिना वर्ष के। परिशिष्ट-13 की रसीद (PP2_p054/p112) पर '1994' छपा है। दोनों में कौन-सा नियम-संग्रह वर्तमान है, यह हमने सत्यापित नहीं किया — इसे प्रशिक्षण में 'त्रुटि' कहकर न पढ़ाएँ; RO/DEO को अभिलेख हेतु भेजें।

मूल प्रपत्र — चार स्तम्भ। यही वह रजिस्टर है जिसे डेक कहीं-कहीं '1 क रजिस्टार' कह देता है।

क्रम संख्या कभी न बदलें

जिसे मत देने नहीं दिया गया या जिसने स्वयं मत नहीं दिया — उसकी पंक्ति रजिस्टर में बनी रहेगी और आगे वालों की क्रम संख्या नहीं बदलेगी। पंक्ति मिटाने या क्रम आगे खिसकाने से 14-ग का मिलान स्थायी रूप से बिगड़ जाता है।

प्ररूप 14-ख — निविदत्त मतों की सूची

प्ररूप — 14 ख
(नियम —44 क एवं 78 देखिये)
निविदत्त मतों (Tender Votes) की सूची

..... नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए सदस्य घाटे संख्या से निर्वाचन मतदान

केन्द्र की संख्या और नाम

निर्वाचक नामावली का भाग संख्या

क्र.सं.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचककी क्रम संख्या	मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप-14क) में उस व्यक्ति की क्र.सं. जिसने निर्वाचक के स्थान पर पहले से ही मतदान कर दिया है।	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

तारीख

पीठारीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मूल प्रपत्र — पाँच स्तम्भ, पन्द्रह पंक्तियाँ।

- **स्तम्भ 4 सबसे महत्वपूर्ण** — प्ररूप 14-क में उस व्यक्ति की क्र.सं. जिसने इस निर्वाचक के स्थान पर पहले से ही मतदान कर दिया है
- **स्तम्भ 5** — निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप — यही पहले लेना है, फिर मतपत्र देना है
- **पन्द्रह पंक्तियाँ** — प्रपत्र में 15 पंक्तियाँ हैं जबकि केन्द्र को 20 निविदत्त मतपत्र मिलते हैं — आवश्यकता पड़े तो सादे कागज पर आगे बढ़ाकर संलग्न करें
- **कहाँ जाएगा** — लिफाफा E-6 — सीलबंद

प्ररूप 14-ग भाग-1 — रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा

प्ररूप — 14 ग
(नियम —49ग और 63क(2)देखिये)
भाग—1 रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए वार्ड संख्या से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम
निर्वाचक नामावली का भाग संख्या

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्याक नियंत्रण यूनिट
मतदान यूनिट.....

1 मतदान केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2 मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-14क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3 नियम 45(क) के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या
4 नियम 35क या 37क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या
5 मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या
6 क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा—मद 3 के सामने दर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा—मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2—3—4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।
7 उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44क के अधीन निविदित मतपत्र जारी किये गये
8 निविदित मतपत्रों की संख्या
(क) उपयोग के लिए प्राप्त
(ख) निर्वाचकों को जारी किये गये
(ग) प्रयुक्त न किये गये और वापस लिये गये
9 पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या से तक
1 प्रदाय की गई पेपर सीलों के क्रम संख्याक से तक
2 प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या
3 प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या
4 स्टैमिंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या (मद 3 में से मद 2 घटाइए)
5 नष्ट हुई पेपर सीलों का क्रम संख्याक यदि कोई है।

तारीख
स्थान

क्रम संख्या से तक

मतदान अधिकर्ताओं के हस्ताक्षर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र संख्या

मद	प्रपत्र में छपा	इस अर्थ में भरें
3	नियम 45(क) के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या	जिन्होंने हस्ताक्षर के बाद स्वयं मत न देने का विनिश्चय किया (No Vote)
4	नियम 35क या 37क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या	जिन्हें पीठासीन अधिकारी ने मत देने नहीं दिया
पेपर सील की मद 4	'(मद 3 में से मद 2 घटाइए)'	मद 2 में से मद 3 घटाइए — प्रदाय की गई सीलें घटा प्रयुक्त सीलें

मूल स्लाइड से अंतर

दो दोष। (1) मद 3 और मद 4 दोनों का विवरण 'अनुज्ञात न किये गये' छपा है, अतः लेबल से भेद नहीं होता; उसी पृष्ठ की मद 6 सही भाषा देती है — मद 3 = 'मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले'। भेद न रखने पर मद 5 = मद 2 – मद 3 – मद 4 का मिलान नहीं बैठेगा। (2) पेपर सील की मद 4 का कोष्ठक उलटा छपा है; अक्षरशः पालन करने पर ऋणात्मक संख्या आएगी। डेक का अपना भरा हुआ नमूना (PP2_p106) इसके विपरीत सही गणना करता है — प्रदाय 4, प्रयुक्त 1, वापस 3। यही उलटा निर्देश डेक में तीन जगह दोहराया गया है।

प्ररूप 14-ग भाग-2 — मतगणना का परिणाम

भाग — 2 मतगणना का परिणाम

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किये गये मतों की संख्या
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

नोटा (इनमें से कोई नहीं)

योग क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग-1 की मद संख्या-5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों योगों में कोई फर्क दर्शित होता है।

स्थान
तारीख

अभ्यर्थी/निर्वाचन अधिकर्ता/गणन अधिकर्ता का नाम

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
पूर्ण हस्ताक्षर

1

2

3

4

5

6

7

8

स्थान
तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मूल प्रपत्र — अभ्यर्थीवार पंक्तियाँ, फिर 'नोटा (इनमें से कोई नहीं)' की पंक्ति, फिर योग।

- **यह भाग किसका है** — यह मतगणना के समय भरा जाता है — पीठासीन अधिकारी भाग-1 भरता है, भाग-2 गणन पर्यवेक्षक/RO के स्तर पर
- **नोटा की पंक्ति** — प्रपत्र में नोटा की अलग पंक्ति है — उसमें अंक अवश्य लिखा जाए, शून्य हो तब भी '0' लिखें, खाली न छोड़ें
- **मिलान का प्रश्न** — प्रपत्र स्वयं पूछता है कि भाग-2 का योग भाग-1 की मद 5 से मेल करता है या नहीं
- **हस्ताक्षर** — गणन पर्यवेक्षक, अभ्यर्थी/निर्वाचन अधिकर्ता/गणन अधिकर्ता तथा रिटर्निंग अधिकारी

मतदान दल के लिए क्यों उपयोगी

यह जानना कि उनका भाग-1 आगे किससे मिलाया जाएगा, दल को मद 2, 3, 4 और 5 सावधानी से भरने के लिए प्रेरित करता है। भाग-1 गलत भरा तो भाग-2 का योग कभी नहीं मिलेगा।

मूल प्रपत्र — यही PP2_p063 का स्पष्ट रूप है; कक्षा में यही पृष्ठ दिखाएँ।

मतदान दल . भाग-2 . 122

प्ररूप 15-क — डाक मतपत्र के लिए आवेदन

प्ररूप — 15 क
(नियम — 46 क(4) और 78 देखिये)
डाक मतपत्र के लिए आवेदन

प्रेषित,

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम
.....
(वार्ड संख्या)

महोदय,

मैं नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम
के लिए वार्ड संख्या से/अध्यक्षीय पद के लिए होने वाले आगामी निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में
क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।

मुझे उपरिवर्णित नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम में वार्ड संख्या के
मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम
..... पर निर्वाचन झूटी पर पदस्थापित किया गया है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे डाक मतपत्र व्यक्तिशः दे दिया जाये/निम्नलिखित पते पर भेज दिया जाये।

.....
.....
.....

स्थान
ताशेख

भवदीय
हस्ताक्षर
नाम

मूल प्रपत्र — रिटर्निंग अधिकारी को सम्बोधित, वार्ड संख्या सहित।

- **कौन देगा** — निर्वाचन झूटी पर लगा वह कार्मिक जो अपना मत डाक द्वारा देना चाहता है
- **क्या भरना है** — नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम, वार्ड संख्या, नामावली का भाग व क्रम संख्या, झूटी का मतदान केन्द्र
- **विकल्प** — 'डाक मतपत्र व्यक्तिशः दे दिया जाये / निम्नलिखित पते पर भेज दिया जाये' — एक विकल्प काटना है
- **PRO का सम्बन्ध** — यह RO का काम है; मतदान दल का काम केवल चिन्हित प्रति पर 'PB' देखकर मतदान न कराना है

प्ररूप-16 — निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र

प्ररूप — 16

(नियम 46 देखिए)

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र

नगरपालिका वार्ड सं. के लिये निर्वाचन

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती वार्ड सं. में निर्वाचक है। उनका नाम निर्वाचन नामावली के भाग संख्यांक में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है,

कि उनके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण वे उस मतदान केन्द्र में, जहां वे मत देने के हकदार हैं, मत देने में असमर्थ हैं और इसलिए उन्हें—

मतदान केन्द्र संख्यांक मतदान केन्द्र का नाम में जहां मतदान की तारीख को वे ड्यूटी पर हैं, मत देने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान

एवं मुहर

- **क्या प्रमाणित होता है** — कि वह व्यक्ति उस वार्ड में निर्वाचक है, और निर्वाचन ड्यूटी के कारण अपने केन्द्र पर मत देने में असमर्थ है
- **क्या प्राधिकृत होता है** — जिस मतदान केन्द्र पर वह ड्यूटी पर है, वहाँ मत देने के लिए
- **PRO क्या करेगा** — प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर EDC पर लें; नाम व भाग संख्या चिह्नित प्रति के अंत में लिखें; फिर सामान्य मतदाता की तरह मतदान कराएँ
- **कहाँ जाएगा** — लिफाफा E-8 (निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र) — सीलबंद

मूल प्रपत्र — RO के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित; यही अभिकर्ता आपके सामने प्रस्तुत करेगा।

परिशिष्ट-6 भाग-1 — मतदान आरम्भ से पूर्व की घोषणा

परिशिष्ट-6

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरम्भ से पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के अन्त में की गई घोषणाएँ

(केवल उन मतदान केन्द्रों पर उपयोग के लिए जहाँ मतदान मशीन उपयोग में लाई जा रही है)

नगरपालिका का नाम वार्ड सं.

मतदान केन्द्र का क्रम संख्या और नाम मतदान की तारीख

भाग-1

(मतदान आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि—

- मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान कराकर यह प्रदर्शित कर दिया है कि—
(अ) मतदान मशीन/मशीनें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और उसके भीतर कोई मत अभिलिखित नहीं है।
(ब) मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उससे भिन्न कोई चिन्ह नहीं है जो डाक मतपत्र जारी किये जाने और निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्रों के लिए प्रयुक्त किये गये हैं, और
(स) मतदान के दौरान उपयोग में लिया गया मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14क) में किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं हुई है।
- मैंने मतदान मशीन/मशीनों की कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये हैं जो वहीं उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर (.....)
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 1. | (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. | (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. | (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. | (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 5. | (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 6. | (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 7. | (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है।

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 1. | (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. | (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. | (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |

तारीख

हस्ताक्षर (.....)
पीठासीन अधिकारी

- 1(अ)** — मतदान मशीन सुचारू रूप से कार्य कर रही है और उसके भीतर कोई मत अभिलिखित नहीं है
- 1(ब)** — चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र व EDC के चिन्हों से भिन्न कोई चिन्ह नहीं है
- 1(स)** — मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14-क) में किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं हुई है
- 2** — पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिए हैं और उन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिए हैं जो उपस्थित थे और इच्छुक थे
- इन्कार करने वाले** — प्रपत्र में इन्कार करने वालों के नाम लिखने के लिए तीन पंक्तियाँ अलग से हैं — उन्हें खाली न छोड़ें, 'निरंक' लिखें

यहीं परिशिष्ट-19 संलग्न होगा

मॉकपॉल का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-19) इसी परिशिष्ट-6 के साथ संलग्न होकर लिफाफा E-10 में जाएगा — परिशिष्ट-7 के साथ नहीं, डायरी के साथ नहीं।

मूल प्रपत्र — घोषणा 1(अ), 1(ब), 1(स) तथा घोषणा 2 (पेपर सील पर हस्ताक्षर)।

लासीख हस्ताक्षर (पीठासीन अधिकारी)

मतदान दल · भाग-2 · 126

परिशिष्ट-7 — पीठासीन अधिकारी की डायरी (मद 1 से 15)

परिशिष्ट — 7

[देखें भाग-3]

पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी

1. नगर पालिका का नाम	
2. वार्ड संख्यांक	
3. मतदान की तारीख	
4. मतदान केन्द्र का नम्बर एवं नाम	
5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन	
1. प्रयुक्त कन्ट्रोल यूनिट की संख्या	
2. प्रयुक्त कन्ट्रोल यूनिटों की पहचान क्रम संख्या	
3. प्रयुक्त बैलेट यूनिटों की संख्या	
4. प्रयुक्त बैलेट यूनिटों की पहचान क्रम संख्या	
6. 1. प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या	
2. प्रयुक्त पेपर सीलों का क्रमांक	
3. प्रयुक्त स्ट्रीप सील का क्रमांक	
7. 1. आपूर्ति किये गये स्पेशल टैगों की संख्या	
2. आपूर्ति किये गये स्पेशल टैगों की कम संख्या	
3. प्रयुक्त स्पेशल टैगों की संख्या	
4. प्रयुक्त स्पेशल टैगों की कम संख्या	
5. अप्रयुक्त वापस किये गये स्पेशल टैगों की कम संख्या	
8. मतदान अधिकारियों की संख्या और जो विलम्ब से आये हो, उनकी संख्या	
9. मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारियों नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	
10. 1. मतदान के प्रारम्भ पर उपस्थित मतदान अधिकारियों की संख्या	
2. विलम्ब से पहुँचने वाले मतदान अधिकारियों की संख्या	
3. मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अधिकारियों की संख्या	
11. 1. मतदान केन्द्र पर कुल मतदाताओं की संख्या	
2. मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात (Allow) किये गये मतदाताओं की संख्या	
3. मतदाताओं का रजिस्टर (प्रारूप 14क) के अनुसार मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत दिया	
4. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या	
12. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया :-	
13. अभ्याक्षेपित (वैलेन्जड) मत	
14. निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या	
15. सहयोगियों की सहायता से मतदान करने वाले	

मूल प्रपत्र का पहला पृष्ठ — मद 1 से 15।

- **मद 1-4** — नगर पालिका का नाम, वार्ड संख्यांक, मतदान की तारीख, मतदान केन्द्र का नम्बर एवं नाम
- **मद 5** — प्रयुक्त CU व BU की संख्या तथा उनकी पहचान क्रम संख्याएँ — मशीन बदली हो तो सब लिखें
- **मद 6** — प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या व क्रमांक, तथा स्ट्रीप सील का क्रमांक
- **मद 7** — स्पेशल टैग — आपूर्ति, प्रयुक्त, अप्रयुक्त वापस की गई संख्याएँ व क्रम संख्याएँ
- **मद 11** — चार पंक्तियाँ — केन्द्र पर कुल मतदाता · चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात · 14-क के अनुसार जिन्होंने मत दिया · मशीन के अनुसार रिकार्ड मत
- **मद 12-13** — पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर/योग; अभ्याक्षेपित मत — अनुमत, अस्वीकृत मत

मद 11 की चारों पंक्तियों में अंतर समझाया जाना चाहिए

11.2 और 11.3 में अंतर हो तो उसका कारण डायरी की किसी मद से निकलना चाहिए। आयोग के भरे हुए नमूने में यह अंतर समझाया नहीं जा सका — अपने बूथ पर इसे स्वयं समझाएँ, अन्यथा RO के यहाँ प्रश्न खड़ा होगा।

डायरी — मद 26 से 30 एवं दो नोट

26. अभ्यर्थी द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों
27. कानून अभिकर्ताओं तथा व्यवस्था भंग करने संबंधी मामलों की संख्या
28. मतदान दल (पोलिंग पार्टी) द्वारा की त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण (यदि कोई हो तो)
29. क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उनके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक है घोषणाएं की हैं?
30. अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण (पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये मॉकपॉल एवं तैयार किये गये प्रमाणपत्र (परिशिष्ट-19) का विवरण अंकित करें)

स्थान

तारीख

पीठासीन अधिकारी
(प्रिसाइडिंग ऑफिसर)
का नाम एवं हस्ताक्षर

नोट:—

1. इस प्रपत्र में यदि किसी मद के सामने पर्याप्त जगह न हो, तो सादे कागज पर जानकारी अंकित कर उसे इस डायरी के साथ नत्थी कर देना चाहिए।
2. यह डायरी मतदान मशीन तथा अन्य सीलड पेपर के साथ रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित करें।

- **मद 28** — मतदान दल द्वारा की गई त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण
- **मद 29** — मतदान के बीच नई मशीन का उपयोग और तत्संबंधी घोषणाएँ
- **मद 30** — 'अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण (पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये मॉकपॉल एवं तैयार किये गये प्रमाणपत्र (परिशिष्ट-19) का विवरण अंकित करें)'
- **नोट 1** — किसी मद के सामने पर्याप्त जगह न हो तो सादे कागज पर जानकारी अंकित कर डायरी के साथ नत्थी करें
- **नोट 2** — यह डायरी मतदान मशीन तथा अन्य सीलड पेपर के साथ रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित करें

मद 30 का कोष्ठक ही मॉक पोल का सही ठिकाना है

प्रपत्र स्वयं मद 30 के भीतर परिशिष्ट-19 का नाम लेकर लिखता है। यही उस विवाद का अंतिम उत्तर है जो PP2_p021 पर 'बिन्दु 25' लिखे जाने से पैदा होता है — कक्षा में यह कोष्ठक जोर से पढ़वाएँ।

मूल प्रपत्र का तीसरा पृष्ठ — मद 26 से 30 तथा नीचे दो नोट। मद 30 पर अंगुली रखकर पूरा कोष्ठक पढ़ें।

परिशिष्ट-8 — भरा हुआ 14-ग भाग-1 (नमूना)

सुधार

परिशिष्ट — 8

[देखें भाग-8]

प्ररूप— 14 ग

(नियम-49 ग और 63 क (2) देखिये)

भाग-1 रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

नमूना

..... क ख ग नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद्/निगम के लिए वार्ड सं. 11 से निर्वाचन मतदान केन्द्र की संख्या और नाम 16 — त थ द
निर्वाचन नामावली का भाग संख्या 2
मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक

नियंत्रण यूनिट RJSCU123456
मतदान यूनिट RJSBU123789

1. मतदान केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या 1020
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप14 क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या 815
3. नियम 45(क) के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या 5
4. नियम 35क या 37 क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गए मतदाताओं की संख्या 3
5. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या 807
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा—मद 3 के सामने दर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा—मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2—3—4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए 6
8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या
(क) उपयोग के लिए प्राप्त 0081 से 0100 तक
(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए 0081 से 0086 तक
(ग) प्रयुक्त न किए और वापस लिए गए 0087 से 0100 तक
9. पेपर सीलों का लेखा
क्रम संख्या 002567 से 002570 तक

मतदान अधिकर्ताओं के हस्ताक्षर
1
2
3
4
5
6

1. प्रदाय की गई पेपर सीलों के क्रम संख्यांक 002567 से 002570 तक
2. प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या 4
3. प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या 1 (002567)
4. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या (मद 3 से मद 2 घटाइए) 3
5. नष्ट हुई कागज की सीलों का क्रम संख्यांक यदि कोई है

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र संख्या 15

तारीख 12.3

स्थान य र ल

मद	नमूने का अंक	जाँच
2 · 3 · 4 · 5	815 · 5 · 3 · 807	815 – 5 – 3 = 807 — मिलान सही है
8(क)(ख)(ग)	0081–0100 प्राप्त · 0081–0086 जारी · 0087–0100 वापस	6 + 14 = 20 — मार्गदर्शिका की 20 की संख्या से मेल
पेपर सील 2 · 3 · 4	प्रदाय 4 · प्रयुक्त 1 · वापस 3	4 – 1 = 3 — गणना सही, पर छपा निर्देश उलटा है

मूल स्लाइड से अंतर

नमूने का अंकगणित सही है, पर पेपर-सील की मद 4 के सामने '(मद 3 से मद 2 घटाइए)' छपा है, जबकि नमूने ने स्वयं 'मद 2 में से मद 3' घटाया है (4 – 1 = 3)। जो पीठासीन अधिकारी निर्देश का अक्षरशः पालन करेगा वह 1 – 4 = –3 लिखेगा या उलझ जाएगा। सही कोष्ठक: '(मद 2 में से मद 3 घटाइए)'। साथ ही मद 3 का वही अस्पष्ट लेबल यहाँ भी दोहराया गया है — इसे नियम 45-क के 'No Vote' के अर्थ में ही भरवाएँ।

मूल नमूना — मद 1 से 9 भरे हुए। नीचे पेपर-सील लेखा; मद 4 के कोष्ठक पर अंगुली रखें।

परिशिष्ट-8 — भरा हुआ 14-ग भाग-2 (नमूना)

पूरक

भाग — 2 मतगणना का परिणाम

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किये गये मतों की संख्या
1.	क	315
2.	ख	206
3.	ग	4
4.	घ	5
5.	ङ	115
6.	च	56
7.	छ	8
8.	ज	46
9.	झ	52
नोटा (इनमें से कोई नहीं)		
योग	9	807

क्या उपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद सं. 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों योगों में कोई फर्क दर्शित होता है।

स्थान प, फ, भ
 तारीख 3.4.5.

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.

पूर्ण हस्ताक्षर

स्थान
 तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मूल नमूना — नौ अभ्यर्थियों के अंक तथा नोटा की खाली पंक्ति; योग 807।

- **योग सही है** — $315 + 206 + 4 + 5 + 115 + 56 + 8 + 46 + 52 = 807$, जो भाग-1 की मद 5 से मेल करता है
- **नोटा की पंक्ति खाली है** — नमूने में नोटा की पंक्ति के सामने कोई अंक नहीं लिखा — अपने प्रपत्र में शून्य हो तब भी '0' लिखें
- **योग की पंक्ति** — 'योग 9' अभ्यर्थियों की संख्या है और '807' मतों का योग — दोनों को न मिलाएँ
- **कक्षा में क्या करें** — यही तालिका दिखाकर जोड़ करवाएँ — यही आदत 09/11.09.2026 की शाम बचाएगी

नोटा की खाली पंक्ति क्यों जोखिम है

खाली खाना बाद में भरा जा सकता है — यही आपत्ति का आधार बनता है। हर खाना भरा हो, शून्य भी अंक है।

परिशिष्ट-9 — थाना अधिकारी को शिकायती पत्र

सुधार

परिशिष्ट 9

(भाग 6 पैरा 2)

थाना अधिकारी को शिकायती पत्र

सेवामें,

थाना अधिकारी,

विषय— नगरपालिका के वार्ड संख्या से निर्वाचन मतदान

केन्द्र (सं. और नाम) में प्रतिरूपण — मतदान की तारीख

महोदय,

मुझे यह सूचित करना है कि श्री के पुत्र और निवासी ने उस व्यक्ति की अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप किया है जिसे श्री के सुपर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री होने का दावा किया है जिसका नाम नगरपालिका के वार्ड संख्या की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या के क्रम संख्या पर दर्शित है। यह व्यक्ति यह साबित नहीं कर सका है कि यह उक्त निर्वाचक है। मेरे विचार में यह छद्मवेशी है। अतः आप से निवेदन है कि आप भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171—च के अधीन अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय,

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर

पीठासीन ऑफिसर

प्रति नगरपालिका के रिटर्निंग ऑफिसर और को
प्रेषित।

हस्ताक्षर

पीठासीन ऑफिसर

मूल प्रपत्र — अंतिम वाक्य पर अंगुली रखें: 'भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171-च के अधीन अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करें।'

- **यह पत्र कब** — जब चुनौती सिद्ध हो जाए और व्यक्ति छद्मवेशी पाया जाए (चैलेन्ज प्रक्रिया की मद 14)
- **साथ में क्या** — व्यक्ति को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपकर यह पत्र थानाधिकारी को दें
- **प्रति किसे** — नगरपालिका के रिटर्निंग ऑफिसर को भी प्रति प्रेषित करें
- **जो नहीं बदलना** — पत्र का शेष ढाँचा — विषय, ब्यौरे, हस्ताक्षर, प्रतिलिपि — सब सही है

मूल स्लाइड से अंतर

प्रपत्र भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171-च का उल्लेख करता है। भा.दं.सं. 1860 भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा निरसित है (01.07.2024 से प्रवृत्त); निर्वाचन में प्रतिरूपण अब बी.एन.एस. 2023 की धारा 172 का अपराध है और धारा 174 के अधीन दण्डनीय — यही आयोग की भी घोषित स्थिति है। यह डेक का सर्वाधिक क्रियाशील पृष्ठ है — यह केवल पढ़ाया नहीं जाता, मतदान दिवस पर वास्तव में लिखकर पुलिस को दिया जाता है। मृत धारा पर लिखा पत्र थानाधिकारी अस्वीकार कर सकता है या FIR निष्प्रभावी हो सकती है। प्रशिक्षण में स्पष्ट बोलें कि पत्र में बी.एन.एस. 2023 की धारा 172/174 लिखी जाए; विहित प्रपत्र स्वयं बदलवाने के लिए आयोग को लिखें।

परिशिष्ट-10 — आयु की घोषणा (दोहराव)

सुधार

परिशिष्ट — 10

[देखें भाग-6 का पैरा 3]

निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप

नगरपालिका का नाम

वार्ड संख्या

मतदान केन्द्र का संख्या व नाम

निर्वाचक द्वारा घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन् 20... की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख को जिसके प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

मुझे निर्वाचक नामावलियों में या निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी मिथ्या घोषणा के बारे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 15 के दण्डात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

तारीख

पिता/पति का नाम
निर्वाचक नामावली का भाग
निर्वाचक की क्रम सं.

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए।

पीठासीन ऑफिसर के हस्ताक्षर

मूल प्रपत्र — यही PP2_p058 पर भी है। दूसरे अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति देखें।

- **वही दोष** — 'राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 15' — 1959 का अधिनियम निरसित है; प्रभावी अधिनियम 2009 है
- **धारा वही है** — 2009 के अधिनियम की भी धारा 15 'मिथ्या घोषणा करना' है — केवल सन् गलत है
- **डेक स्वयं विरोधाभासी** — इसी डेक की PP2_p057 सही रूप से '2009' कहती है
- **क्या करें** — चेतावनी मौखिक रूप से '2009 की धारा 15' कहकर दें; प्रपत्र पर काट-छाँट न करें; आयोग को सुधार हेतु लिखें

मूल स्लाइड से अंतर

यह आयोग की मार्गदर्शिका का विहित प्रपत्र है और डेक उसे ज्यों का त्यों दोहरा रहा है — दोष डेक का अपना नहीं है। विहित प्रपत्र को मतदान केन्द्र पर स्वयं बदल देना उस उद्धरण-दोष से बड़ी गलती होगी। इसलिए सुधार केवल मौखिक है।

परिशिष्ट-11 — आयु घोषणा करने वालों की सूची (दोहराव)

परिशिष्ट — 11

[देखें भाग-6 का पैरा 3]

आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची

नगरपालिका के लिये निर्वाचन

वार्ड संख्या

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम

भाग-I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं।

क्र. सं.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				

भाग-II

उन मतदाताओं की सूची, जिन्होंने अपनी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएं करने से इंकार कर दिया है।

क्र. सं.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				

दिनांक

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

- **स्तम्भ 4 और 5** — नामावली में दर्ज आयु तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु — दोनों अलग-अलग लिखनी हैं
- **भाग-II का महत्व** — जिन्होंने घोषणा से इन्कार किया और मतदान किए बिना चले गए — इनका मतदान हुआ ही नहीं
- **डायरी** — दोनों भागों की गिनती मद 17(क) व 17(ख) में
- **लिफाफा** — परिशिष्ट-10 की घोषणाओं के साथ लिफाफा E-14 में

मूल प्रपत्र — यही PP2_p059 पर भी है; भाग-I और भाग-II।

परिशिष्ट-12 — साथी द्वारा घोषणा (दोहराव)

परिशिष्ट 12

(भाग 7 पैरा 1)

असांविधिक प्ररूप

दृष्टिहीन या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

[नगरपालिका वार्ड संख्या]

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम

मैं, ... का पुत्र/पुत्री श्री
आयु वर्ष का निवासी
..... (स्थान)*

यह घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मैंने आज (तारीख) को किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं श्री भाग संख्या क्रम संख्या
ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा।

साथी के हस्ताक्षर

'असांविधिक प्ररूप' का अर्थ यह नहीं कि वैकल्पिक है

प्रपत्र के शीर्ष पर 'असांविधिक प्ररूप' लिखा है — इसका अर्थ केवल इतना है कि यह नियमों की अनुसूची में नहीं, मार्गदर्शिका में विहित है। नियम 38-क(2) घोषणा लेना अनिवार्य बनाता है, अतः इसे छोड़ा नहीं जा सकता।

मूल प्रपत्र — यही PP2_p068 पर भी है।

परिशिष्ट-13 — चैलेन्ज फीस रसीद बुक (दोहराव)

चैलेन्ज फीस, रसीद बुक प्ररूप परिशिष्ट 13 (देखे भाग 6, पैरा 2.1) कार्यालय पीठासीन अधिकारी आपत्ति शुल्क (चैलेज फी) के लिये रसीद क्रम सं. पृष्ठ संख्या श्री *उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता से 2(दो) रुपये मात्र नकद राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि (डिपोजिट) के रूप में प्राप्त किये। हस्ताक्षर तारीख पीठासीन अधिकारी वार्ड संख्या नगरपालिका मतदान केन्द्र का नाम य क्रमांक *सरकार के पक्ष में धनराशि जब्त की जाती है। हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 (5) के अन्तर्गत 2 (दो) रुपये मात्रा वापस प्राप्त किये। नाम य हस्ताक्षर उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता	परिशिष्ट 13 (देखे भाग 6, पैरा 2.1) कार्यालय पीठासीन अधिकारी आपत्ति शुल्क (चैलेज फी) के लिये रसीद क्रम सं. पृष्ठ संख्या श्री *उम्मीदवार/ निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता से 2(दो) रुपये मात्र नकद राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि (डिपोजिट) के रूप में प्राप्त किये। हस्ताक्षर तारीख पीठासीन अधिकारी वार्ड संख्या नगरपालिका मतदान केन्द्र का नाम य क्रमांक
--	--

मूल प्रपत्र — यही PP2_p054 पर भी है; बाईं ओर प्रतिपर्ण, दाईं ओर रसीद।

- **प्रतिपर्ण पर 'जब्त'** — चुनौती तुच्छ या असम्भावपूर्ण निकले तो प्रतिपर्ण पर 'जब्त' लिखकर हस्ताक्षर करें
- **प्रतिपर्ण पर 'वापस'** — चुनौती सिद्ध हो जाए तो प्रतिपर्ण पर चुनौतीकर्ता की प्राप्ति लेकर ₹2 लौटाएँ
- **प्रतिपर्ण स्वयं कहता है** — 'नियम 43(5) के अन्तर्गत 2 (दो) रुपये मात्र वापस प्राप्त किये' — यही शासी उपबंध है
- **डायरी** — अनुमत संख्या, अस्वीकृत संख्या तथा जब्त की गई धनराशि — तीनों मद 13 में
- **लिफाफा** — रसीद बुक लिफाफा E-14 में

जब्त धनराशि का जोड़ स्वयं मिलाएँ

जब्त धनराशि = ₹2 × जब्त की गई चुनौतियों की संख्या। आयोग के भरे हुए नमूने में यह अंक उसी नमूने के अपने अंकों से नहीं बनता — अपने बूथ पर यह गुणा स्वयं जाँचें। किस स्थिति में जब्ती होगी, इसका उत्तर PP2_p053 की मद 12 व 13 में है।

- **उद्देश्य** — यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है
- **संशय की स्थिति में** — समस्त सुसंगत अधिनियम, नियम एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें
- **अंतिम अधिकार** — रिटर्निंग अधिकारी के तात्कालिक दिशा-निर्देशों के अधीन अपना कार्य सम्पादित करें
- **इस संस्करण के लिए** — जहाँ इस डेक ने मूल स्लाइड से भिन्न पाठ दिया है, वहाँ 'मूल स्लाइड से अंतर' के बॉक्स में स्रोत लिखा है — कक्षा में वही स्रोत बोलें
- **जो सत्यापित नहीं** — जिन बिन्दुओं पर हमें आधार नहीं मिला, उन्हें इस डेक ने स्पष्ट रूप से 'सत्यापित नहीं' कहा है — उन्हें त्रुटि कहकर न पढ़ाएँ

प्रश्न किससे पूछें

मशीन की खराबी → जोनल मजिस्ट्रेट → उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिकृत इंजीनियर। विधि/प्रपत्र का प्रश्न → रिटर्निंग अधिकारी → DEO। मतदान दिवस पर स्वयं निर्णय लेकर विहित प्रपत्र न बदलें।

मतदान की सुबह — दस मिनट का पुनरावलोकन

मॉक पोल

नोटा सहित प्रत्येक को 1-1 मत

TOTAL → CLOSE → RESULT-I → मिलान → CLEAR → TOTAL = 0

कौन क्या दबाएगा

BALLOT — तृतीय मतदान अधिकारी, कभी मतदाता नहीं

CLOSE — केवल अंतिम मतदाता के बाद (या बूथ कैप्चरिंग पर नियम 55(6))

तीन कागज

परिशिष्ट-19 → परिशिष्ट-6 के साथ → लिफाफा E-10

डायरी की मद 30 — मद 25 पर कभी नहीं

शाम को

14-ग: मद 2 – मद 3 – मद 4 = मद 5

CU व BU अलग-अलग बक्सों में; एड्रेस टैग पूरा भरा हुआ

एक वाक्य जो पूरे दिन काम आएगा

'मतदाता कंट्रोल यूनिट को कभी नहीं छूता, और मैं कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ूँगा।'

धन्यवाद

- **मूल प्रस्तुति** — मनीष कुमार गोयल एवं मनीष माथुर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर
- **यह संस्करण** — मूल 114 स्लाइडों पर आधारित, DLMT सुधार पत्रक (22.08.2026) एवं मार्गदर्शिका-आधारित सत्यापन के साथ
- **शुभकामनाएँ** — 09 एवं 11 सितम्बर 2026 — प्रत्येक मतदान केन्द्र पर शुद्ध अभिलेख और मिलता हुआ लेखा